दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

अगस्त भाग-2
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- सफल लोकतंत्र हेतु निष्पक्ष स्पीकर की आवश्यकता 5
- न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी का उपयोग 7
- उच्च शिक्षा और क्षेत्रीय भाषाएँ 8

आर्थिक घटनाक्रम **11**

- मानव विकास उत्पाद (HDP) 11
- कृषि जैव प्रौद्योगिकी : GM फसलें 13
- लचीली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये MSMEs 15

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **17**

- भारत की तालिबान चुनौती 17
- दक्षिण एशियाई भू-राजनीति का भविष्य 18

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **21**

- जलवायु परिवर्तन और बड़े व्यवसाय 21
- चक्रवात अनुकूल नियोजन 23

सामाजिक न्याय **25**

- सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण 25
- जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता 27
- गर्ल्स ड्रॉप आउट 29
- फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से पोषण सुरक्षा 31

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

सफल लोकतंत्र हेतु निष्पक्ष स्पीकर की आवश्यकता

हमारे संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष का पद केंद्रीय स्थान रखता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद के बारे में कहा गया है कि जहाँ संसद के सदस्य अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं वहीं अध्यक्ष सदन की पूर्ण अधिकारिता का प्रतिनिधित्व करता है।

वह उस सदन की गरिमा और शक्ति का प्रतीक होता है जिसकी वह अध्यक्षता करता है। इसलिये, यह अपेक्षा की जाती है कि इस उच्च गरिमा वाले पद का धारक ऐसा व्यक्ति हो जो सदन का प्रतिनिधित्व उसके सभी कार्यों और दायित्वों में कर सके।

हालाँकि, पिछले दो दशकों से संसद की कार्यवाही को अवरुद्ध करना प्रत्येक विपक्षी दल की मानक कार्रवाई प्रक्रिया ही बन गई है। भारतीय संसद—साथ ही राज्य विधानसभाओं—के कार्य-संचालन में अध्यक्ष के पद का दुरूपयोग विधान-मंडलों के स्तर और उत्पादकता में गिरावट के कुछ प्रमुख कारणों में से एक है।

अध्यक्ष की स्वतंत्रता का महत्त्व

- सर्वोच्च अधिकारिता: लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में सर्वोच्च अधिकारिता रखता है। उसमें व्यापक शक्तियाँ निहित हैं और यह उसका प्राथमिक कर्त्तव्य है कि वह सदन के कार्यकलाप का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करे।
- राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक: जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा अध्यक्ष को "राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक" माना था और इस बात पर बल दिया था कि अध्यक्ष "उत्कृष्ट क्षमता और निष्पक्षता" वाले व्यक्ति हों।
- सदन के संरक्षक: एम.एन कौल और एस.एल शकधर ने लोकसभा अध्यक्ष को सदन की अंतरात्मा और उसका संरक्षक माना था।
  - लोकसभा के सर्वप्रमुख प्रवक्ता के रूप में लोकसभा अध्यक्ष सदन की सामूहिक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

अध्यक्ष की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

- यह तय करना अध्यक्ष का कर्त्तव्य है कि किन मुद्दों पर लोकसभा में चर्चा की जाएगी।
- व्याख्या: वह सदन के अंदर भारतीय संविधान के प्रावधानों, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन संबंधी नियम और संसदीय पूर्व-दृष्टांतों का अंतिम व्याख्याकार होता है।
- दोनों सदनों की संयुक्त बैठक: वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
- स्थगन प्रस्ताव: उसके पास स्थगन प्रस्ताव पेश करने या ध्यानाकर्षण नोटिस स्वीकार करने की अनुमति देने (यदि कोई विषय तात्कालिक सार्वजनिक महत्त्व का है) का पूर्ण विवेकाधिकार है।
- धन विधेयक: वह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इस विषय में उसका निर्णय अंतिम होता है।
- सदस्यों की निरर्हता: दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत दल-बदल के आधार पर सदस्यों की निरर्हता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही लिया जाता है।
- समितियों का गठन: सदन की समितियाँ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित की जाती हैं और उसके समग्र निर्देशन में कार्य करती हैं।
  - सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष उसके द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

लोकसभा में अध्यक्ष पद से संबद्ध समस्याएँ

- सत्तारूढ़ दल के प्रति पक्षधरता: सर्वोच्च न्यायालय ने दल-बदल विरोधी कानून पर कई निर्णय दिये हैं। इन सभी निर्णयों में एक सामान्य बात यह प्रकट होती है कि विभिन्न राज्य विधानसभाओं में अध्यक्ष पक्षपातपूर्ण आचरण करते रहे हैं।
  - पिछले एक दशक से अधिक समय से एक निष्पक्ष और स्वतंत्र अध्यक्ष का उदाहरण पाना कठिन हो गया है।

नोट :

- राष्ट्रीय हित पर दलीय हित हावी: अध्यक्ष द्वारा सत्तारूढ़ दल का सक्रिय सदस्य बने रहने के वर्तमान आचरण का अनिवार्य परिणाम यह है कि वह ऐसे किसी भी बहस या चर्चा की अनुमति देने से इनकार कर देता है जो भले राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो लेकिन सत्तारूढ़ दल को असहज या लज्जित कर सकता है।
- संसदीय कार्यवाही में बढ़ते अवरोध: अध्यक्ष का पक्षपातपूर्ण आचरण और विपक्षी दलों की माँगों के प्रति उसकी उदासीनता कई बार विपक्ष द्वारा संसद को लगातार बाधित किये जाने का कारण बनती है।
  - वस्तुत: एक अध्यक्ष द्वारा सत्तारूढ़ दल का सक्रिय सदस्य बना रहना ऐसा है, जैसे बल्लेबाजी करते पक्ष ने अपना स्वयं का अंपायर नियुक्त कर रखा हो।
  - संसद की कार्यवाही में लगातार व्यवधान से न केवल सदन की प्रतिष्ठा को व्यापक हानि पहुँचती है, बल्कि विधानमंडल का प्राथमिक कार्य—गंभीर बहस और विचार-विमर्श के साथ देश के सुशासन के लिये विधि निर्माण का उत्तरदायित्व भी बाधित होता है।
- विधेयकों को समितियों के पास नहीं भेजा जाना: संसदीय कार्यवाही के अवरुद्ध होने के कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकों को कई सत्रों में बिना किसी चर्चा के ही पारित कर दिये जाने की स्थिति बनी है।
  - वर्ष 2021 के मानसून सत्र में एक भी विधेयक किसी भी प्रवर समिति को नहीं भेजा गया।

आगे की राह

लोकसभा अध्यक्ष में दो आवश्यक गुण अवश्य होने चाहिये: स्वतंत्रता और निष्पक्षता।

- अध्यक्ष की स्वतंत्रता: शक्तियों का पृथक्करण हमारे संविधान की मूल संरचना का अंग है। यदि संसद की प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है तो हमारे लोकतंत्र की नींव उत्तरोत्तर कमज़ोर होती जाएगी।
  - यह सर्वथा उचित होगा है कि प्रत्येक विधानमंडल का अध्यक्ष स्वतंत्रता और निष्पक्षता के अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन हेतु अपने संबद्ध दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 1967 में नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था।
- सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन: वास्तव में हमारे पास मौजूद विकल्प द्विआधारी है—या तो संसद और राज्य विधानसभाओं को क्रमिक गिरावट का शिकार होने दें अध्यक्ष को वास्तविक रूप से स्वतंत्र बनाएँ और प्रत्येक विधानमंडल को सार्वजनिक महत्त्व के विषयों पर विचार-विमर्श करने तथा पर्याप्त बहस के बाद कानून पारित करने का संवैधानिक कार्य करने का अवसर दें।
- विचार-विमर्श की निरंतरता सुनिश्चित करने का अध्यक्ष का उत्तरदायित्व: वर्ष 1951 में सर्वोच्च न्यायालय के नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने (दिल्ली विधि अधिनियम मामले में) निर्णय दिया कि आवश्यक विधायी कार्यों को नौकरशाही को नहीं सौंपा जा सकता है; विधि-निर्माण विधायिका के अधिकार क्षेत्र में बने रहना चाहिये।
  - अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विधायिका की लगातार बैठकें हों और विधेयकों पर यथोचित बहस हो।
- लोकसभा के पहले अध्यक्ष के अनुसार जी.वी. मावलंकर ने अपेक्षा प्रकट की थी कि कोई व्यक्ति जब अध्यक्ष चुन लिया जाता है, तब उसे दलगत प्रतिबद्धताओं और राजनीति से ऊपर उठ जाना चाहिये। उसे या तो सभी सदस्यों से संबंधित होना चाहिये या किसी से भी संबंधित नहीं होना चाहिये।
  - उसे दल या व्यक्ति से परे एक समान रूप से न्यायिक बने रहना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत में लोकसभा अध्यक्ष का कार्यालय एक जीवंत और गतिशील संस्था है जो अपने कार्यों के निष्पादन में संसद की वास्तविक आवश्यकताओं और समस्याओं से संबोधित होता है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लोकतांत्रिक ढाँचे में इस पद के महत्त्व को चिह्नित किया था और इसी महत्त्व को समझते हुए उन्होंने देश की शासन योजना में इसे सर्वप्रमुख और प्रतिष्ठित पदों में से एक के रूप में स्थापित किया था।

नोट :

न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी का उपयोग

हाल ही में CoWIN पोर्टल के संबंध में उत्पन्न समस्याओं पर विचार के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े पैमाने पर लोगों तक वैक्सीन आपूर्ति की दिशा में कुछ प्रमुख बाधाओं की ओर ध्यान दिलाया।

ये प्रमुख बाधाएँ हैं: देश में अपर्याप्त डिजिटल साक्षरता, अपर्याप्त डिजिटल पैठ (digital penetration) और बैंडविड्थ एवं कनेक्टिविटी की गंभीर समस्या (विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में)।

टीकाकरण का लाभ देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने की महत्त्वाकांक्षा के बावजूद इन निहित कठिनाइयों के कारण नीति अपने लक्ष्य को पूरा कर सकने में अभी तक सफल नहीं हुई है।

न्यायालय के अवलोकन में आधार बिंदु यह था कि पूरी तरह से डिजिटल रूपांतरण पर निर्भर होना संभवत: एक सार्थक विचार नहीं हो। इसके परिणामस्वरूप, गणना त्रुटियों (enumerated shortfalls) के कारण आबादी का एक बड़ा हिस्सा बहिर्वेशित हो सकता है।

न्याय व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय इसी तरह की चुनौतियों का सामना न्यायिक प्रणाली द्वारा किया जाता है।

महामारी के दौरान न्यायपालिका के प्रयास

- महामारी के मद्देनज़र न्यायालयों ने ई-फाइलिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग वास्तविक दृढ़ संकल्प से करना शुरू किया।
- मई 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक और नवोन्मेषी कदम उठाया तथा ई-फाइलिंग एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम निर्देशांकन (artificial intelligence-enabled referencing) की एक नई प्रणाली पेश की।
  - इसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिये दक्षता, पारदर्शिता और अदालती आपूर्ति सेवाओं तक नवीन पहुँच की शुरुआत करना था।
- न्यायपालिका का प्रयास महज महामारी से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने के लिये की गई एकबारगी कार्रवाई नहीं है। यह लंबे समय से न्यायपालिका को परेशान करने वाली असाध्य बीमारियों पर काबू पाने और उन्हें दूर करने के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रयास करता है।
  - इनमें देश भर में लंबित मामलों की बड़ी संख्या और सभी स्तरों पर न्यायिक रिक्तियों के अस्वीकार्य स्तर शामिल हैं।
- ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिये नवीनतम संदृश्य प्रलेख (Vision Document) न्यायपालिका की डिजिटल वंचना को दूर करने का प्रयास करता है।
  - यह न्यायिक प्रणाली के लिये ऐसी अवसंरचना की परिकल्पना करता है जो 'मूल रूप से डिजिटल' (natively digital) हो और भारत की न्यायिक समयरेखा और सोच पर महामारी के प्रभाव को प्रतिबिंबित करता हो।

न्यायपालिका के डिजिटल समाधान से संबद्ध समस्याएँ

- रामबाण नहीं: पर्याप्त डेटा-आधारित योजना और सुरक्षा उपायों के साथ तकनीकी उपकरण 'गेम चेंजर' साबित हो सकते हैं।
  - हालाँकि, प्रौद्योगिकी स्वयं में मूल्य-तटस्थ नहीं होती— यानी यह पूर्वाग्रहों से प्रतिरक्षित नहीं है और इसलिये इसका उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिये कि यह नागरिकों और राज्य के बीच शक्ति असंतुलन की वृद्धि में योगदान कर रही है अथवा यह नागरिक अधिकारों की पुष्टि एवं श्रीवृद्धि कर रही है।
- ई-कोर्ट रिकॉर्ड का रखरखाव: अर्द्ध-न्यायिक कर्मचारियों के पास दस्तावेज़ या रिकॉर्ड साक्ष्य के प्रभावी रखरखाव और उन्हें वादी, अधिवक्ता अदालत तक सुगमता से उपलब्ध करा सकने के उपयुक्त संसाधनों और प्रशिक्षण का अभाव है।
- हैकिंग और साइबर सुरक्षा: प्रौद्योगिकी के चरम पर साइबर सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता होगी। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिये उपचारात्मक कदम उठाए हैं और साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार की है। हालाँकि, इसका व्यावहारिक और वास्तविक कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है।
- अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण ज़िलों के वकील ऑनलाइन सुनवाई को चुनौतीपूर्ण पाते हैं जो मुख्यत: कनेक्टिविटी की समस्याओं और कार्यवाही के इस तरीके से उनके अपरिचय के कारण है।
- अन्य समस्याओं में प्रक्रिया से निकटता की कमी के कारण प्रक्रिया के प्रतिवादी में भरोसे की कमी शामिल हो सकती है।
  - यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि परिवर्तन के प्रति सभी हितधारकों में हमेशा एक अंतर्निहित प्रतिरोध होगा ही, चाहे वह परिवर्तन अच्छे के लिये हो या बुरे के लिये।

नोट :

आगे की राह:

- नियमित परफॉरमेंस ऑडिट की आवश्यकता: संभावनाओं और जोखिमों को ध्यान से समझने तथा उनका आकलन करने के लिये परफॉरमेंस ऑडिट एवं सैंडबॉक्सिंग उपायों (isolated test environment) का सहारा लेना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक न्यायालय में 'डीप हाउस क्लीनिंग' की आवश्यकता है और सभी वादियों तक लागत-प्रभावी, सुविधाजनक और कुशल तरीके से पहुँच बनाने की भी आवश्यकता है।
- साक्ष्य-आधारित तर्कसंगत दृष्टिकोण: कार्रवाई का अगला कदम साक्ष्य-आधारित तर्कसंगत दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, हमें यह अध्ययन करने और समझने की आवश्यकता है कि आपराधिक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने न तो ट्रायल की समयसीमा को संक्षिप्त किया है और न ही ट्रायल की प्रतीक्षा करते लोगों की संख्या को कम किया है।
- असमान डिजिटल पहुँच की समस्या को संबोधित करना: जबकि मोबाइल फोन का व्यापक इस्तेमाल बढ़ा है, इंटरनेट तक पहुँच शहरी उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित रही है।
- रिक्तियों की पूर्ति: जिस प्रकार चिकित्सकों को chatbots से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार प्रौद्योगिकी (चाहे वह कितनी भी उन्नत हो) न्यायाधीशों का विकल्प नहीं हो सकती और प्रणाली में न्यायाधीशों की भारी कमी बनी हुई है।
  - इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2020 के अनुसार उच्च न्यायालयों में 38% (वर्ष 2018-19) और इसी अवधि में अधीनस्थ या निचले न्यायालयों में 22% रिक्तियों की स्थिति थी।
  - अगस्त 2021 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रत्येक 10 में से चार से अधिक पद रिक्त बने हुए थे।
- अवसंरचनात्मक कमी: न्याय की आपूर्ति के लिये खुला न्यायालय (Open court) एक प्रमुख सिद्धांत है। सार्वजनिक पहुँच के प्रश्न को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे चिंता के केंद्र में होना चाहिये।
  - प्रौद्योगिकीय अवसंरचना की कमी का अर्थ प्राय: यह होता है कि ऑनलाइन सुनवाई तक पहुँच कम हो जाती है।

निष्कर्ष

यह व्यवस्था में स्थायी परिवर्तन लाने करने का वह उपयुक्त समय हो सकता है जो भारत में चरमराती न्याय वितरण प्रणाली को रूपांतरित कर सकता है।

लेकिन प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता न्यायालयों की सभी समस्याओं के लिये कोई रामबाण नहीं है और यदि इस दिशा में सुचिंतित तरीके से कदम नहीं बढ़ाए गए तो यह प्रतिकूल परिणाम भी दे सकता है।

उच्च शिक्षा और क्षेत्रीय भाषाएँ

भारत में उच्च अध्ययन-अध्यापन मुख्य रूप से विदेशी भाषाओं में होता रहा है, जबकि भारतीय भाषाओं को इस क्षेत्र में इतना महत्त्व कभी भी नहीं मिला।

हालाँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP, 2020) ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर शिक्षा के लिये क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग पर बल दिया।

इसी परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education- AICTE) ने देश भर के 14 कॉलेजों को हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, असमिया, पंजाबी और उड़िया सहित 11 क्षेत्रीय भाषाओं में चुनिंदा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की पेशकश की अनुमति दी है।

यहाँ अपरिहार्य प्रश्न यह है कि क्या उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक क्षेत्रीय-माध्यम परिवर्तन को हड़बड़ी में आगे बढ़ाना व्यावहारिक है, विशेष रूप से तब जबकि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली प्राय: अक्षम ही बनी रही है?

क्षेत्रीय भाषा में उच्च शिक्षा के सकारात्मक पहलू

- विषय-विशिष्ट सुधार: भारत और अन्य एशियाई देशों में किये गए कई अध्ययन यह बताते हैं अंग्रेज़ी माध्यम के बजाय क्षेत्रीय माध्यम का उपयोग करने वाले छात्रों के अधिगम प्रतिफलों (learning outcomes) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

नोट :

- विशेष रूप से विज्ञान और गणित विषय के मामले में अंग्रेज़ी की तुलना में अपनी मातृभाषा में अध्ययन करने वाले छात्रों में बेहतर प्रदर्शन स्तर पाया गया है।

- भागीदारी की उच्च दर: मातृभाषा में अध्ययन का अवसर उच्च उपस्थिति दर, प्रेरणा और छात्रों में स्वयं को अभिव्यक्त कर सकने के आत्मविश्वास में वृद्धि जैसे परिणाम देता है। इसके साथ ही, मातृभाषा से परिचय के कारण माता-पिता की संलग्नता और सहयोग में भी सुधार की स्थिति बनती है।
  - कई शिक्षाविदों द्वारा प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों में ड्रॉपआउट दरों के साथ-साथ कुछ छात्रों के खराब प्रदर्शन के लिये अंग्रेज़ी पर खराब पकड़ को प्रमुख कारण के रूप में देखा गया है।
- कम-सुविधासंपन्न लोगों के लिये अतिरिक्त लाभ: यह विशेष रूप से उन छात्रों के लिये प्रासंगिक है जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं (अर्थात अपनी समग्र पीढ़ी में पहली बार स्कूल जाने और शिक्षा प्राप्त करने वाले) या ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं—जो अंग्रेज़ी जैसी किसी विदेशी भाषा में अपरिचित अवधारणाओं से भय महसूस कर सकते हैं।
- सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि: यह अधिकाधिक छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगा और इस प्रकार उच्च शिक्षा क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio- GER) की वृद्धि करेगा।
- भाषाई विविधता को प्रोत्साहन: यह सभी भारतीय भाषाओं की क्षमता, उपयोग और जीवंतता को भी बढ़ावा देगा।
  - इस प्रकार, निजी संस्थान भी भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने और/अथवा द्विभाषी कार्यक्रम पेश करने के लिये प्रेरित होंगे।
  - यह भाषा-आधारित भेदभाव को रोकने में भी मदद करेगा।

संबद्ध चुनौतियाँ

- नियुक्ति प्रतिमान में परिवर्तन: तृतीयक शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने का निर्णय प्रमुख संस्थानों के भर्ती/नियुक्ति निर्णयों में हस्तक्षेप करेगा क्योंकि वे विषय-वस्तु विशेषज्ञता के विपरीत भाषा प्रवीणता को प्राथमिक मानदंड के रूप में देखने को विवश होंगे।
  - उन्हें शिक्षण के लिये वैश्विक प्रतिभा पूल से शिक्षकों की तलाश करने का अभ्यास भी छोड़ना होगा।
- अखिल भारतीय प्रवेश लेने वाले संस्थानों के लिये निरर्थक उपक्रम: ऐसे परिदृश्य में क्षेत्रीय भाषा पर बल देना सार्थक नहीं होगा जहाँ IITs जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान देश भर के प्रवेशकों को आमंत्रित करते हैं।
- क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री की उपलब्धता: एक अन्य चुनौती पाठ्यपुस्तकों और विद्वत साहित्य जैसी अध्ययन सामग्री की उपलब्धता की होगी।
  - इसके साथ ही, अर्थ संबंधी अनियमितताओं को दूर रखने के लिये इनके अनुवादों का गुणवत्ता नियंत्रण भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा।
- नियोजन से संबद्ध चुनौती: कई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ प्रवेश स्तर के पदों के लिये 'ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग' (GATE) के स्कोर स्वीकार करती हैं, जो अंग्रेज़ी माध्यम में आयोजित किया जाता है।
  - कॉलेज-शिक्षित व्यक्तियों की पहले से ही निराशाजनक रोज़गार स्थिति को देखते हुए प्रतीत होता है कि एक क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन रोज़गार के अवसरों को और बाधित कर सकता है।
- संकाय की उपलब्धता: चूँकि भारत में उच्च शिक्षा के अंग्रेज़ी माध्यम की विरासत रही है, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण करने के इच्छुक और क्षमतावान गुणवत्तायुक्त शिक्षकों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी।
- वैश्विक मानकों के साथ गति बनाए रखना: क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम देने से छात्रों को वैश्विक श्रम और शिक्षा बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा कर सकने के अवसर से वंचित किया जा सकता है, क्योंकि निश्चय ही वहाँ अंग्रेज़ी में प्रवणता एक अलग बढ़त प्रदान करती है।
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय छात्रों के लिये अवसरों की कमी NEP, 2020 के उद्देश्य (अभिजात वर्ग और शेष के बीच की खाई को पाटना) के प्रतिकूल साबित हो सकती है।
  - यह शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण के भी विरुद्ध है।

नोट :

आगे की राह

- आधार का निर्माण: क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिये सरकार ने जिस तरह की आधिकारिक आज्ञा को अपनाया है, वह समस्याग्रस्त है।
  - उदाहरण के लिये, अनुदान के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिये पहले एक आधार के निर्माण की आवश्यकता है।
- IITI को योजना में शामिल करना: सर्वप्रथम अनुवाद और व्याख्या में गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम का सृजन कर भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्तायुक्त अधिगम और प्रिंट सामग्री का विकास करना होगा।
  - इस संबंध में 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (IITI)' की स्थापना की जाएगी जो भारतीय भाषाओं के विद्वानों, विषय विशेषज्ञों और अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा।
- शिक्षा के लिये निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रणाली: सरकार को निष्पक्षता और समावेशन के सिद्धांतों पर आधारित न्यायसंगत प्रणाली विकसित करने के लिये कार्य करना होगा।
  - यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि छात्रों की व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियाँ किसी भी तरह से उनकी पूर्ण शैक्षणिक क्षमता को साकार करने में बाधा न बनें।
  - इसके साथ-साथ, मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा के उपयोग के माध्यम से समावेशन सुनिश्चित करते हुए, सरकार को शिक्षा का एक आधारभूत न्यूनतम मानक भी तय करना चाहिये जो सभी असमानताओं को समाप्त करता हो।
- "क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेज़ी के योग" की धारणा को अपनाना: जबकि शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को सशक्त किया जाना आवश्यक है, छात्रों के लिये अंग्रेज़ी भाषा पर अच्छी पकड़ का होना भी उतना ही आवश्यक है क्योंकि वे 21वीं सदी में वैश्विक मूल-निवासी होने की स्थिति रखते हैं।
  - भारतीय भाषाओं को अंग्रेज़ी की पूरकता प्रदान की जानी चाहिये।
- 'डिजिटल डिवाइड' को भरना: AICTE ने हाल ही में एक उपकरण विकसित किया है जो अंग्रेज़ी के कंटेंट का 11 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन अनुवाद करता है।
  - अपने सभी छात्रों को ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिये संस्थानों को सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के स्कूली तथा कॉलेज जाने वाले छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं इंटरनेट सुविधाएँ प्रदान करने को प्राथमिकता देना होगा।

निष्कर्ष

- भारतीय भाषाएँ शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिये अति आवश्यक हैं क्योंकि वे शिक्षा में समानता को सशक्त करती हैं तथा वे छात्रों को भारतीय भाषाओं और अंग्रेज़ी के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का उपयोग करते हुए एक स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक समाज में रहने के लिये तैयार करेंगी।
- एक तेज़ी से वैश्वीकृत होती दुनिया में देशी भाषा में शिक्षण के निहितार्थ के लिये एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
  - "मातृभाषा बनाम अंग्रेज़ी" से "मातृभाषा और अंग्रेज़ी के योग" की ओर संक्रमण या स्थानांतरण आवश्यक है।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

मानव विकास उत्पाद (HDP)

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी देश की आर्थिक गतिविधियों की एक माप होता है। यह किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन का कुल मान होता है। यह उपभोक्ता पक्ष की ओर से आर्थिक उत्पादन का संकेत देता है।

हालाँकि, जीडीपी की अपनी खामियाँ भी हैं क्योंकि यह केवल आर्थिक विकास को इंगित करता है और असमानताओं एवं अन्याय की पहचान नहीं करता है।

इस प्रकार, हमें विकास के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिये वैकल्पिक 'मीट्रिक' या संकेतकों की आवश्यकता है और ऐसा सुविज्ञ नीतिनिर्माण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो आर्थिक विकास को ही विशेष रूप से प्राथमिकता नहीं देता हो।

विकास के संकेतक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद से संबद्ध समस्याएँ

- GDP के तहत उत्पाद की माप की जाती है न कि उनके प्रभाव की: सकल घरेलू उत्पाद उत्पादित कारों की सकारात्मक गणना तो करता है लेकिन उनके द्वारा उत्पन्न प्रभाव की गणना नहीं करता; यह बिक्री हुए चीनीयुक्त पेय पदार्थों के मूल्य को तो जोड़ लेता है लेकिन उनके कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को इस मान में से घटाने में विफल रहता है; इसमें नए शहरों के निर्माण के महत्त्व को तो शामिल कर लिया जाता है, लेकिन उनके द्वारा प्रतिस्थापित किये गए जीवनदायी वनों के विनाश का कोई हिसाब नहीं किया जाता।
  - जैसा कि रॉबर्ट कैनेडी ने कहा है—सकल घरेलू उत्पाद संक्षिप्तत: प्रत्येक चीज़ का मापन करता है सिवाय उनके जो जीवन को सार्थक बनाते हैं।
- असमानता को संबोधित करने में विफल: वर्तमान विश्व में विकसित और विकासशील देश, दोनों में ही असमानता का स्तर एकसमान है। जीडीपी असमान समाज और समतावादी समाज के बीच अंतर कर सकने में अक्षम है।
  - चूँकि बढ़ती असमानता के परिणामस्वरूप सामाजिक असंतोष और ध्रुवीकरण में वृद्धि हो रही है, नीति निर्माताओं को विकास का आकलन करते समय इन विषयों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
- पर्यावरणीय क्षरण का मापन नहीं: पर्यावरणीय क्षरण एक प्रमुख बाह्यता (औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधियों के वे परिणाम जो अन्य पक्षों पर प्रभाव डालते हैं लेकिन बाज़ार मूल्यों में प्रतिबिंबित नहीं होते) है जिसे जीडीपी अपने मापन में शामिल करने में विफल रहा है।
  - अधिक वस्तुओं का उत्पादन, इससे होने वाली पर्यावरणीय क्षति के बावजूद, अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दर्शाता है।
  - इस प्रकार, जीडीपी के मानक पर भारत जैसे देश को विकास-पथ पर अग्रसर माना जाता है, जबकि दिल्ली में शीतकाल धुंध की अधिकाधिक समस्या और बेंगलुरु की झीलों में आग लगने के अधिकधिक खतरे का शिकार हो रहा है।
- आधुनिक सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल नहीं: अमेज़न पर किराने की खरीदारी से लेकर उबर पर कैब की बुकिंग तक आज का समाज तेज़ी से उभर रही सेवा अर्थव्यवस्था से अधिकाधिक प्रेरित है।
  - जैसे-जैसे अनुभव की गुणवत्ता अथक उत्पादन का अधिक्रमण कर रही है, जीडीपी की धारणा तेज़ी से अपना महत्त्व खोती जा रही है।
  - हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सोशल मीडिया बिना कोई कीमत लिये सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है, जिसके मूल्य को साधारण आँकड़ों से संपुटित नहीं किया जा सकता है।
  - आधुनिक अर्थव्यवस्था की अधिक सटीक स्थिति दर्शाने के लिये हमारे आर्थिक विकास और वृद्धि के मापकों को इन परिवर्तनों के अनुकूल होने की भी आवश्यकता है।
  - सकल घरेलू उत्पाद शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पहुँच में भारी असमानता और लिंग, जाति, क्षेत्र एवं अन्य विषयों में अन्यायपूर्ण स्थिति का प्रतिबिंबन नहीं कर पाता है।

नोट :

सकल घरेलू उत्पाद के विकल्प के रूप में मानव विकास उत्पाद (HDP)

HDP में निम्नलिखित मानदंड शामिल हो सकते हैं:

- महिला श्रमशक्ति भागीदारी दर: यह भारत में आश्चर्यजनक रूप से कम है, जबकि महिलाओं का सशक्तिकरण (उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से) मानव विकास के लिये केंद्रीय विषय है।
- लैंगिक आय समानता: एक ही काम के लिये पुरुष और महिला द्वारा अर्जित आय में मौजूद अंतर को पाटने की आवश्यकता है।
  - यदि हम उन्हें पुरुषों की तुलना में असुरक्षित और कम वेतन वाली नौकरियाँ देना जारी रखते हैं तो फिर श्रमबल में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी का कोई अर्थ नहीं है।
- आयु अनुरूप छोटा कद (Stunting): स्टंटिंग न केवल उस अत्यंत क्रूर स्थिति में एक है जिसे समाज स्वीकार करता है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण और सार्वजनिक शिक्षा की व्यापक स्थितियों को भी प्रकट करता है।
- जल की गुणवत्ता और उपलब्धता: हम निर्दिष्ट भौगोलिक बिंदुओं और आवधिकता के आधार पर 10 प्रमुख नदियों की जल गुणवत्ता और प्रवाह का मापन कर सकते हैं; साथ ही कुछ सबसे अधिक दबावग्रस्त क्षेत्रों में भूजल स्तर और उसकी गुणवत्ता की माप कर सकते हैं।
  - इससे हमें एक समग्र जल स्वास्थ्य सूचकांक प्राप्त हो सकता है।
- राज्य व्यवस्था की गुणवत्ता: इसके अंतर्गत सभी विधान-मंडल सदस्यों (संसद और राज्य विधान-मंडलों के सदस्य) के उस प्रतिशत का पता लगाया जा सकता है जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं या जिन पर दोषसिद्धि हुई है।
- अन्य मानदंड: ये कुछ महत्त्वपूर्ण मानदंड हैं जो देश में सबसे बुनियादी चीज़ों की प्रगति की माप कर सकते हैं और मानव प्रगति की स्थिति को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार अन्य मानदंड (जैसे CO_2 उत्सर्जन, इंटरनेट तक पहुँच आदि) भी जोड़े जा सकते हैं।
  - उदाहरणस्वरूप, वर्तमान में मानव विकास के लिये इंटरनेट की उपलब्धता एक अनिवार्य स्थिति हो गई है।

आगे की राह

- विकास के मापन के वैकल्पिक उपाय: HDP के साथ-साथ अन्य संकेतक भी अपनाए जा सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, भूटान द्वारा सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक विकसित किया गया है जो निष्पक्ष और न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक विकास और सुशासन जैसे कारकों पर विचार करता है।
  - UNDP का मानव विकास सूचकांक (HDI) आर्थिक समृद्धि के अलावा स्वास्थ्य और ज्ञान को समाहित करता है।
- क्षमता दृष्टिकोण: अमर्त्य सेन की विकास अवधारणा के केंद्र में 'क्षमता दृष्टिकोण' है, जहाँ मानव विकास की मूल चिंता जीडीपी में वृद्धि, तकनीकी प्रगति या बढ़ते औद्योगिकीकरण के बजाय 'उस तरह के जीवन जीने की हमारी क्षमता जिसका सम्मान करने का हमारे पास कारण हो' पर केंद्रित है।
  - मानव क्षमता को बढ़ाना अच्छा है क्योंकि यह लोगों के विकल्पों, भलाई और स्वतंत्रता; सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने में उनकी भूमिका; और आर्थिक उत्पादन में उनके योगदान में सुधार लाता है।
- जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन आजीविका, स्वास्थ्य और अन्य सभी विषयों को प्रभावित कर रहा है। हमें जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से कई मोर्चों पर निपटना होगा।
- समग्रता की आवश्यकता: मानव विकास उत्पाद शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक मानदंड, राजनीतिक वातावरण, पर्यावरण की स्थिति एवं अन्य असंख्य महत्त्वपूर्ण कारकों का एक उत्पाद है, इसलिये केवल आर्थिक कारक पर केंद्रित होना उपयुक्त नहीं है।

  HDP में सुधार इन सभी कारकों में सुधार के साथ ही घटित और प्रतिबिंबित होगा।
- सतत् विकास लक्ष्यों के लिये प्रयास: आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं को कल्याण के बेहतर मापन की आवश्यकता है जो विकास का सही प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिये पर्यावरण के क्षरण जैसे महत्त्वपूर्ण विषय को भी ध्यान में रखे।
  - इसलिये, आवश्यकता व्यापक और सतत् विकास की है।

नोट :

निष्कर्ष

हमारा अंतिम लक्ष्य एक अधिक निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज का निर्माण करना है जो आर्थिक रूप से संपन्न हो और नागरिकों को जीवन की एक सार्थक गुणवत्ता प्रदान कर सके।

जिस अर्थव्यवस्था में लोगों का कल्याण उसके केंद्र में होगा, वहाँ आर्थिक विकास बस एक और साधन होगा तथा जीडीपी केंद्रीय मानदंड नहीं रह जाएगा। वहाँ अर्थव्यवस्था का ध्यान कल्याण के अधिक वांछनीय और वास्तविक निर्धारकों की ओर स्थानांतरित होगा।

वर्तमान समय में भारत को स्वयं के लिये यह प्रतिबद्धता तय करनी चाहिये कि वह अपने HDP विकास दर को GDP विकास दर से अधिक उन्नत करेगा।

कृषि जैव प्रौद्योगिकी : GM फसलें

साठ के दशक के अंत में देश में 'हरित क्रांति' के आगमन ने खाद्य की कमी और गंभीर कृषि संकट से देश की रक्षा की तथा इसके बाद से भारतीय कृषि ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। वह क्रांति के पीछे का विज्ञान था जिसने वस्तुस्थिति के परिवर्तन में योगदान किया।

आज भारत फिर एक बार एक चौराहे पर खड़ा है, हालाँकि पाँच दशक पहले की तुलना में वह कहीं अधिक मज़बूत स्थिति में है। वर्तमान में भारत विभिन्न प्रकार की फसलों का एक प्रमुख उत्पादक देश है। इनमें चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना और विभिन्न फल एवं सब्जियाँ शामिल हैं।

लेकिन, प्रति इकाई भूमि की उपज या उत्पादन के मामले में भारत उन देशों से पीछे है जो खाद्य फसलों के प्रमुख उत्पादक हैं। फसल की पैदावार को कई कारक प्रभावित करते हैं जिनमें जलवायु की स्थिति, उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि आदानों तक पहुँच, मशीनीकरण, पूँजी तक पहुँच और नवीनतम कृषि तकनीकों का कुशल ज्ञान जैसे कारक शामिल हैं।

हालाँकि, इनमें से किसी भी कारक का अधिक लाभ नहीं मिलेगा यदि हमारी भूमि में बोए जाने वाले बीज सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के नहीं होंगे या उनमें विभिन्न कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोध की क्षमता नहीं होगी।

GM प्रौद्योगिकी के लाभ

- आयातक से शुद्ध-निर्यातक के रूप में भारत का उदय: भारत में GM प्रौद्योगिकी के लाभ तुरंत ही नज़र आए और ये बेहद प्रभावोत्पादक भी थे।
  - जब से कृषि क्षेत्र को आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास (बीटी कपास) के लिये खोला गया है, देश नकदी फसल कपास के प्रमुख उत्पादकों में से एक के रूप में उभरा है और चार-पाँच वर्षों से भी कम समय में ही इसका शुद्ध निर्यातक बन गया है।
- विभिन्न गुणों का योग: ट्रांसजेनिक या GM बीज ऐसे बीज होते हैं जिनमें अन्य प्रजातियों से निकाले गए जीन को शामिल करके कुछ गुणों का योग किया जाता है।
  - बीज के स्वाद, रंग, गुणवत्ता, पोषण मूल्य में सुधार करने और उन्हें सामान्य पादप-रोगों के लिये प्रतिरोधी बनाने अथवा कपास के पौधों पर हमला करने वाले बोलवर्म जैसे कीटों को दूर करने के लिये इनमें कई विशेषताओं का योग किया जा सकता है।
- जलवायु अनुकूल फसलें: भविष्य के लिये एक अन्य महत्त्वपूर्ण आवश्यकता जलवायु अनुकूल फसलों (Climate Resilient Crops) की है और GM प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसकी पूर्ति का भी प्रयास किया जा सकता है।
- आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य (genetic engineered food) के अन्य संभावित लाभ:
  - रोग और सूखा प्रतिरोधी पौधों का विकास जिन्हें पर्यावरणीय संसाधनों (जैसे जल और उर्वरक) की कम आवश्यकता होती है
  - कीटनाशकों का कम प्रयोग
  - कम लागत और दीर्घ शेल्फ-लाइफ वाले खाद्य की आपूर्ति में वृद्धि
  - तेज़ी से विकास करने वाले पादप और जंतु
  - अधिक वांछनीय लक्षणों वाले खाद्य (जैसे आलू), जो तले जाने पर कैंसरकारक पदार्थ का कम उत्पादन करते हैं
  - औषधीय खाद्य पदार्थ जिनका उपयोग टीकों या अन्य दवाओं के रूप में किया जा सकता है।

नोट :

GM फसलों से संबद्ध चुनौतियाँ

- अन्य GM फसलों की आवश्यकता: कपास किसानों को प्राप्त लाभ सदृश अवसर अन्य फसल उत्पादकों को नहीं मिल सका है।
  - चीन के मक्के के आयात का एक बड़ा हिस्सा उत्तर और दक्षिण अमेरिकी देशों से प्राप्त होता है।
  - इधर चीन के पड़ोसी के रूप में भारत इन अवसरों से लाभ उठाने में असमर्थ है अथवा उत्पादकता के मौजूदा स्तरों के कारण प्रतिस्पर्द्धी मूल्य रखता है।
- प्रौद्योगिकीय उन्नति के साथ तालमेल की कमी: भारतीय कृषि विज्ञान के विरुद्ध नहीं है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के इस्तेमाल में तालमेल नहीं रख सका है।
  - उदाहरण के लिये, जीन संपादित फसलों ने अच्छे लाभ के अवसर उत्पन्न किये हैं और उत्पादन की गुणवत्ता जैसे लाभों के लिये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इनकी खेती की जा रही है।
- अज्ञात परिणाम: बाह्य जीन अभिव्यक्ति (foreign gene expression) के माध्यम से किसी फसल प्रजाति की प्राकृतिक अवस्था को बदलने के अज्ञात परिणाम भी सामने आ सकते हैं।
  - इस तरह के परिवर्तन फसल प्रजाति के चयापचय, विकास दर और/अथवा बाहरी पर्यावरणीय कारकों के प्रति अनुक्रिया को परिवर्तित कर सकते हैं।
- स्वास्थ्य जोखिम: आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों में मौजूद नए एलर्जेंस (allergens) के संपर्क में आने की संभावना और साथ ही एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी जीन का जठरांत्र वनस्पति (gut flora) में स्थानांतरण मानव के लिये संभावित स्वास्थ्य जोखिमों में प्रमुख हैं।
- पारिस्थितिक असंतुलन: उत्पन्न परिणाम न केवल स्वयं GMO को प्रभावित करते हैं, बल्कि उस प्राकृतिक वातावरण को भी प्रभावित करते हैं जिसमें उस जीव को बढ़ने दिया जाता है।
  - अन्य जीवों में कीटनाशक, शाकनाशी का जीन स्थानांतरण अथवा एंटीबायोटिक प्रतिरोध का स्थानांतरण न केवल मनुष्यों के लिये जोखिम उत्पन्न करेगा, बल्कि यह पारिस्थितिक असंतुलन भी पैदा कर सकता है, जिससे पहले कभी अहानिकर रहे पादप अनियंत्रित विकास कर सकते हैं, और इस प्रकार पादपों और जंतुओं दोनों के बीच रोग के प्रसार को बढ़ावा दे सकते हैं।

आगे की राह

- एग्री-बायोटेक के साथ तालमेल बनाए रखना: बीटी बैंगन, DMH -11 सरसों आदि अन्य GMO फसलों को पर्याप्त पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental impact assessment) के बाद ही अनुमति दी जानी चाहिये।
  - भारत में GM बीजों के व्यावसायीकरण की दीर्घकालिक संभावनाओं और लाभों पर मूल और गहन शोध के बाद ही सरकार को GM बीजों के व्यावसायीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिये।
- स्वदेशी प्रौद्योगिकी: किसानों की आय को दोगुना करने के लिये विज्ञान और सुरक्षा से कोई समझौता किये बिना घरेलू प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना और आवश्यक नियामक कदमों के साथ उनका समर्थन करना महत्त्वपूर्ण है।
  - निवेश को बढ़ावा देने से टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को उन फसलों में रुचि लेने के लिये प्रेरित किया जा सकेगा जो भारत के लिये प्रासंगिक हैं और वे उन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करेंगे जिनके लिये एक स्पष्ट नियामक ढाँचा मौजूद है।
- 'गुड साइंस' पर भरोसा: GM फसल प्रौद्योगिकियों को उनके गुण प्रभावकारिता, सुरक्षा और फसल के समग्र प्रदर्शन वृद्धि के लिये कई वर्षों के परीक्षण से गुजरना पड़ता है।
  - हमें इन प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन के लिये मौजूद सभी 'गुड साइंस' पर भरोसा होना चाहिये और फसल के लिये जो भी सुरक्षित और अच्छा साबित होता है, उसे कृषक समुदाय को उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- अन्य उपाय:
  - GM बीजों की अवैध खेती पर अंकुश लगाने के लिये जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (Genetic Engineering Appraisal Committee- GEAC) को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिये:
    - राज्य सरकारों के साथ सहयोग करें और एक राष्ट्रव्यापी जाँच अभियान शुरू करें।

नोट :

- मनमाने GM फसल उत्पादन के खतरे पर कार्रवाई करें।
- GM बीजों की अवैध आपूर्ति में शामिल लोगों की जाँच करें और उन पर मुकदमा चलाएँ।

- GM फसलों के साथ-साथ जैविक खेती (organic farming) को प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष

दीर्घावधि में जब तक किसान लाभान्वित नहीं होंगे, तब तक इसे किसी के लिये भी लाभ का सौदा नहीं माना जा सकता। नि:संदेह यही वह परम लक्ष्य है जो नियामकों, किसानों की लॉबी, कार्यकर्ताओं और निवेशकों सहित सभी हितधारकों को भरोसे के माहौल का निर्माण करने के लिये एक साथ ला सकता है।

लचीली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये MSMEs

प्रभावी वित्तीय समावेशन और संवहनीय आर्थिक परिणामों के साथ वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माण का प्रधानमंत्री का स्वप्न घरेलू और बाह्य, दोनों ही निवेशकों के निवेश पर निर्भर करता है। सरकारी व्यय केवल एक प्रोत्साहन ही प्रदान कर सकता है, अकेले प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने ओर लेकर नहीं जा सकता।

घरेलू निजी निवेश पाने के लिये समयबद्ध, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण (कम लागत) क्रेडिट की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, विशेषकर वर्तमान दौर में जब लगभग सभी उद्योगों पर ही कोविड-19 के कारण बना दबाव चरम स्तर पर है।

परिभाषा में हाल ही में लाए गए परिवर्तन के साथ 95 प्रतिशत से अधिक भारतीय कंपनियाँ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) के अंतर्गत शामिल तो कर ली गई हैं लेकिन MSMEs के समक्ष विद्यमान समस्याओं को चिह्नित करने और उन्हें दूर करने की तात्कालिक आवश्यकता है।

MSMEs के समक्ष विद्यमान समस्याएँ

- ऋण तक पहुँच की समस्याएँ: अधिकांश MSMEs ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अवस्थित हैं जहाँ ऋण तक पहुँच बेहद सीमित है।
  - वे शोषक साहूकारों के चंगुल में फँसने को विवश होते हैं और प्राय: ऋण दुष्चक्र में फँस जाते हैं।
  - वित्त तक पहुँच और समयबद्ध ऋण सहायता में कमी इन उद्यमों के लिये एक दीर्घकालिक समस्या बनी रही है।
- गंभीर ऋणग्रस्तता: बैंकों से ऋण एवं कार्यशील पूँजी प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों और सरकारी भुगतान एवं टैक्स रिफंड प्राप्त होने में विलंब के कारण अधिकांश MSMEs गंभीर ऋणग्रस्तता के शिकार हैं।
- अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता: एक अध्ययन के अनुसार, MSMEs के लिये समग्र रूप से 69.3 ट्रिलियन रुपए की ऋण माँग है, जिसमें से 84% का वित्तपोषण साहूकार, परिवार, मित्र, चिट फंड जैसे अनौपचारिक स्रोतों द्वारा किया जाता है।
  - वाणिज्यिक बैंक, NBFCs और सरकारी संस्थानों जैसे औपचारिक स्रोत महज 16% माँग की पूर्ति करते हैं।
- उद्यमों का लघु आकार: इन MSMEs के 80% से अधिक सूक्ष्म और लघु श्रेणी में शामिल हैं।
  - सरकार के 'इमरजेंसी लाइन क्रेडिट', 'स्ट्रेस्ड एसेट रिलीफ', 'इक्विटी पार्टिसिपेशन' और 'फंड ऑफ फंड ऑपरेशन' का लाभ उन तक नहीं पहुँच पा रहा है।
- साख मूल्यांकन की समस्या: बैंक व्यक्तियों या फर्मों (MSMEs सहित) की साख या क्रेडिट का बेहतर मूल्यांकन कर जोखिम को सीमित रखने के लिये विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।
  - साख का निर्धारण करते समय दो त्रुटियाँ उभरती हैं, जो सामान्य हैं—एक खराब आवेदक की त्रुटिपूर्ण स्वीकृति (False Acceptance of a bad applicant) और एक अच्छे आवेदक की त्रुटिपूर्ण अस्वीकृति (False Rejection of a good applicant)।
    - इनमें से पहली त्रुटि बैंकों के लिये हानिकारक है और उनके जोखिम को बढ़ाती है जबकि दूसरी त्रुटि स्वयं वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को प्रभावित करती है।
  - NPAs को कम रखने के लिये कई क्रेडिट योग्य व्यक्तियों को भी बैंकों द्वारा ऋण से वंचित कर दिया जाता है।

नोट :

- छोटे MSMEs के लिये कागजी कार्रवाई या डिजिटल फुटप्रिंट की कमी एक ऐसा कारक है जो उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत होने से अवरुद्ध करता है और MSMEs को औपचारिक क्रेडिट प्रणाली का लाभ लेने से वंचित करता है।
- तकनीकी व्यवधान: भारत का MSME क्षेत्र अप्रचलित प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो इसकी उत्पादन क्षमता को बाधित करता है।
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकियों (जिन्हें सामूहिक रूप से उद्योग क्रांति 4.0 के रूप में जाना जाता है) जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उद्भव संगठित वृहत विनिर्माण उद्यमों की तुलना में MSMEs के लिये एक बड़ी चुनौती है।

आगे जी राह

- केंद्रित नियामक और संरचनात्मक परिवर्तन: यह पहुँच में सुधार करेगा, औपचारिक क्षेत्र की ओर संक्रमण को आसान करेगा और उपभोक्ता शिक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ाएगा।
  - दीर्घावधि में जब इन नियामक समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा, तब स्वीकृत ऋणों को अधिक सुगमता से वितरित किया जा सकेगा और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश में MSMEs के लिये एक 'सुदृढ़ चक्र' (virtuous cycle) का निर्माण होगा।
- अच्छे आवेदकों की त्रुटिपूर्ण अस्वीकृति को कम करना: RBI द्वारा यादृच्छिक नमूना आधार पर सभी ऋण आवेदनों का नियमित ऑडिट किया जाना चाहिये और दुर्भावनापूर्ण अकरण या चूक (जिसके परिणामस्वरूप पात्र उद्यमों को भी ऋण देने से अनैतिक रूप से इंकार कर दिया जाता है) के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिये।
- स्वतंत्र नियामक की स्थापना: डेटा अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए, यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करे जो MSMEs को सलाह एवं परामर्श दे और उन्हें इस नई, डिजिटल दुनिया में विकास करने में सक्षम बनाए।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: बैंकों द्वारा प्रयुक्त पारंपरिक बैंक ऋण प्रणाली वित्तीय विवरणों और उधारकर्ता के संपार्श्विक पर आधारित है। GSTN, आयकर, क्रेडिट ब्यूरो आदि सहित कई स्रोतों से डेटा की बढ़ती उपलब्धता के साथ अब यह संभव है कि सतर्क ऑनलाइन जाँच के माध्यम से MSMEs के ऋण प्रस्तावों का शीघ्रता से मूल्यांकन कर लिया जाए।
- अवसंरचनात्मक जनोपयोगी सेवाओं को अद्यतन किया जाना: किसी भी उद्यम द्वारा अपने सुचारू कार्यान्वयन के लिये अवसंरचनात्मक जनोपयोगी सेवाओं (जैसे पानी, बिजली आपूर्ति, सड़क/रेल) को अद्यतन करने की तत्काल आवश्यकता है।
  - इसके अलावा, उद्यमियों को संगठनात्मक संस्कृति में अंतर्निहित गुणवत्ता के प्रति जागरूक मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है ।
  - प्रमाणन के विविध और उन्नत स्तरों पर MSMEs का सुग्राहीकरण (Sensitisation) और मार्ग-निर्देशन वर्तमान दौर की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

MSMEs एक प्रत्यास्थी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके विकास को प्राथमिकता देना देश के भविष्य के लिये महत्त्वपूर्ण है। सरकार पिछले कुछ वर्षों में कई तरह के सक्षमकारी तंत्र लेकर आगे आई है।

भारत को, विशेष रूप से मौजूदा परिदृश्य में ऐसे और उपायों की आवश्यकता है। अगला दशक एक उभरती हुई शक्ति से एक स्थापित आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत के रूपांतरण का दशक होगा और MSMEs की इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारत की तालिबान चुनौती

अमेरिकी सेना की वापसी और फिर देश पर तालिबान के नियंत्रण से अफगानिस्तान एक अफरातफरी का शिकार हुआ है। नए परिदृश्य में न केवल अफगानिस्तान में तालिबान का तेज़ी से आगे बढ़ना सुनिश्चित हुआ बल्कि काबुल का शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण भी तय हो गया।

विभिन्न प्रांतों से आ रही खबरों ने तालिबान द्वारा मानवाधिकारों के घोर हनन की पुष्टि की है। यदि तालिबान का नया शासन काबुल में बेहतर प्रदर्शन करता है, तो यह विश्व को इसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।

निश्चय ही काबुल में तालिबान का प्रवेश अफगानिस्तान और भारत के बीच संबंधों के एक नए चरण की शुरूआत का भी प्रतीक है।

भारत के लिये चुनौतियाँ

- भारतीय सुरक्षा का मुद्दा: अफगानिस्तान में तालिबान शासन की बहाली भारतीय सुरक्षा के लिये कुछ अत्यंत गंभीर आसन्न चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है।
  - इनमें विकास अवसंरचना को सुरक्षित करने से लेकर अराजकता के शिकार अफगानिस्तान में फँसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने जैसी तमाम चुनौतियाँ शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रसार: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को तालिबान से प्राप्त पुन: समर्थन और तालिबान की ओर से लड़ रहे जिहादी समूहों को पाकिस्तान द्वारा पुन: भारत की ओर मोड़ दिया जाना भारत के लिये एक गंभीर चुनौती होगी।
- धार्मिक कट्टरवाद: अन्य सभी कट्टरपंथी समूहों की तरह, तालिबान के लिये भी अपनी धार्मिक विचारधारा को राज्य के हितों की अनिवार्यता के साथ संतुलित करना एक कठिन कार्य होगा।
  - भारत को दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिये इस क्षेत्र को कट्टरपंथ से मुक्त करने जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा।
- नई क्षेत्रीय भू-राजनीतिक प्रगति: क्षेत्र में नए भू-राजनीतिक सरेखण (चीन-पाकिस्तान-तालिबान का गठजोड़) का भी निर्माण हो सकता है जो भारत के हितों के विरुद्ध जा सकता है।
  - इसके साथ ही, अमेरिका की वापसी अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में सत्ता-समीकरण के एक नए संतुलन की स्थापना की विवशता उत्पन्न करती है।
  - इसके अलावा अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश अफगानिस्तान के नए शासन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आकार देने का भी प्रयास करेंगे।
- तालिबान के साथ निकट संबंध नहीं: पाकिस्तान, चीन और ईरान के विपरीत भारत का तालिबान के साथ कोई निकट संबंध नहीं रहा है।
  - उदाहरण के लिये, रूस की तजाकिस्तान के साथ एक सुरक्षा संधि है और उसने अफगानिस्तान में उथल-पुथल से मध्य एशिया में अस्थिरता के प्रसार पर नियंत्रण के लिये वहाँ अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है।
  - भारत के पास ऐसा कोई सुरक्षा उत्तरदायित्व नहीं है और न ही वह मध्य एशिया तक कोई सीधी पहुँच रखता है।
  - चूँकि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद अफगानिस्तान में तालिबान के साथी रहे हैं, यह तालिबान को पाकिस्तान के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में भारत पर पुन: हमला करने हेतु प्रोत्साहन दे सकता है।

भारत के समक्ष उपलब्ध विकल्प

- व्यापक राजनयिक संलग्नता: भारत को अफगानिस्तान पर केंद्रित एक विशेष दूत नियुक्त करने पर विचार करना चाहिये। यह विशेष दूत सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक बैठक में भारतीय आशंकाओं-अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति हो और तालिबान के साथ संलग्नता का आधार व्यापक किया जाए।

नोट :

- तालिबान और पाकिस्तान को अलग-अलग खाँचों में देखना: यद्यपि तालिबान पर पाकिस्तान को एक वास्तविक लाभ की स्थिति प्राप्त है लेकिन यह पूर्ण या परम प्रभाव नहीं भी हो सकता है।
  - निश्चय ही तालिबान पाकिस्तान से एक हद तक स्वायत्तता की इच्छा रखेगा। भारत और तालिबान के बीच मौजूदा समस्याओं के दूर होने तक भारत को अभी कुछ धैर्य बनाए रखना होगा।
- अफगानिस्तान में अवसरों को संतुलित करना: अफगानिस्तान के अंदर शक्ति के आंतरिक संतुलन को आकार देना हमेशा से कठिन रहा है। अफगानिस्तान में चीन-पाक की गहन साझेदारी अनिवार्य रूप से विपरीत प्रवृत्तियों को भी जन्म देगी।
  - लेकिन एक धैर्यवान, ग्रहणशील और सक्रिय भारत के लिये अफगानिस्तान में संतुलन के अवसरों की कोई कमी नहीं होगी।
- भारतीय अवसंरचनात्मक विकास का लाभ उठाना: भारत द्वारा अफगानिस्तान को अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिये 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी गई है जो उसकी आबादी की सेवा करती है और इससे भारत ने जो सद्भावना अर्जित की है, वह स्थायी बनी रहेगी।
  - वर्तमान आवश्यकता यह है कि अफगानिस्तान में विकास कार्यों को अवरुद्ध नहीं किया जाए और सकारात्मक कार्य जारी रखा जाए।
- वैश्विक सहयोग: 1990 के दशक की तुलना में आज आतंकवाद की वैश्विक स्वीकृति बहुत कम है।
  - कोई भी बड़ी शक्ति अफगानिस्तान को आतंकवाद की वैश्विक शरणस्थली के रूप में फिर से उभरते हुए नहीं देखना चाहेगी।
  - विश्व ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसे तंत्रों के माध्यम से आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन पर नियंत्रण के लिये उल्लेखनीय कदम भी उठाए हैं।

निष्कर्ष

चूँकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्यबल की वापसी के प्रभाव भारत पर भी पड़ेंगे, उसे अपने हितों की रक्षा के लिये और अफगानिस्तान में स्थिरता की बहाली के लिये तालिबान तथा अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। यदि भारत सक्रिय और धैर्यवान बना रहा तो इस नए अफगान चरण में उसके लिये अवसर के कई द्वार खुल सकते हैं।

दक्षिण एशियाई भू-राजनीति का भविष्य

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्यबल की वापसी के मद्देनज़र काबुल का पतन इस भू-भाग और इसकी भू-राजनीति के भविष्य के लिये एक निर्णायक क्षण साबित होगा। यह अधिक नहीं तो कम-से-कम वर्ष 1979 में सोवियत हस्तक्षेप और वर्ष 2001 में अमेरिकी हस्तक्षेप के ही समान निर्णायक सिद्ध होगा।

हालाँकि बहुत कुछ इस पर निर्भर करता कि आगामी कुछ महीनों में घरेलू स्तर पर और साथ ही साथ दक्षिणी एवं पश्चिमी एशियाई भू-राजनीतिक शतरंज की बिसात पर तालिबान का वास्तविक आचरण कैसा रहता है, लेकिन संभावित है कि इस भू-भाग में उभरती वृहत शक्ति प्रतिस्पर्द्धा में तालिबान एक 'उपयोगी खलनायक' बना रहेगा।

भारत और इस पूरे भू-भाग के लिये अफगानिस्तान का पतन एक आत्ममंथन का क्षण है और उसे अपनी क्षेत्रीय रणनीतियों तथा विकल्पों पर पुनर्विचार करना चाहिये।

तालिबान के समक्ष अफगानिस्तान के पतन के कारण

- अमेरिका की शर्तरहित वापसी: अमेरिका ने एक सहमत राजनीतिक समझौते की प्रतीक्षा किये बिना ही अपने सैनिकों की शर्तरहित वापसी का निर्णय ले लिया जबकि इसके परिणामों का अनुमान पहले से था और वस्तुत: अनुमानों से भी अधिक त्वरित गति से ये परिणाम सामने आए।
- मानसिक तैयारी का अभाव: अफगान मानसिक रूप से स्वीकार ही नहीं कर सके थे कि अमेरिका वास्तव में अपने सैन्य बलों की वापसी कर लेगा। इसके साथ ही अफगान सैन्य रणनीति की कमी, आपूर्ति और रसद की बदहाली, रक्षा पोस्टों की दुर्बलता और वहाँ सैनिकों की कम संख्या, वेतन का बकाया, फिजूलखर्ची और विश्वासघात, आत्मसमपर्ण और दुर्बल मनोबल की भावना—इन सभी ने तालिबान के समक्ष राज्य के समर्पण में अपनी भूमिका निभाई।
  - हवाई सहायता, हथियार प्रणाली, खुफिया सूचनाओं आदि के लिये अफगान अमेरिका पर तकनीकी निर्भरता रखते थे।

नोट :

- तैयारी का अभाव: अफगान सेना प्रबल प्रतिरोध हेतु तैयार नहीं थी और तालिबान के आक्रमण के घेरे में आ गई।
- अफगान बलों के प्रशिक्षण की कमी: बीहड़ इलाकों में पर्याप्त गतिशीलता, तोपखाना, आर्मर, इंजीनियरिंग, रसद, खुफिया सूचना, हवाई सहायता आदि के साथ क्षेत्र की रक्षा कर सकने की सक्षमता के लिये अफगान सेना को कभी भी पर्याप्त प्रशिक्षत नहीं किया गया, न ही उन्हें आवश्यक सैन्य-सामग्री उपलब्ध हुई। क्षेत्र की रक्षा के उद्देश्य से पैदल सेना बटालियन और सैन्य-सिद्धांत के अनुकरण पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

क्षेत्रीय भू-राजनीति का भविष्य

- क्षेत्रीय शक्ति शून्यता का निर्माण: चीन, पाकिस्तान, रूस और तालिबान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों की धुरी ने पहले से ही इस शक्ति शून्यता को भरना शुरू कर दिया है जहाँ यह अपने व्यक्तिगत और साझा हितों के आधार पर क्षेत्र की भू-राजनीति को आकार दे रहे हैं।
  - चीनी नेतृत्त्व के अंतर्गत ईरान भी इस अवसरवादी परिदृश्य का लाभ उठा सकता है।
- अमेरिका-विरोधी धुरी: इस क्षेत्र के अधिकांश देशों में अलग-अलग स्तर की गहन अमेरिका-विरोधी भावनाएँ पाई जाती हैं जो इस यूरेशियाई केंद्रीय क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को और कम कर देगी।
- चीन के लिये लाभप्रद परिदृश्य: अमेरिका की वापसी से क्षेत्र में बनी शक्ति शून्यता की स्थिति विशेष रूप से चीन और इस भू-भाग में उसकी वृहत रणनीतिक योजनाओं के लिये लाभप्रद होगी।
  - चीन, भारत के अतिरिक्त इस क्षेत्र के प्रत्येक देश को अपने 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) के अंतर्गत लाने के अपने प्रयासों को और सुदृढ़ करेगा, जिससे क्षेत्र का भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक आधार ही बदल जाएगा।
  - चीन को प्राप्त लाभ की स्थिति से उत्पन्न चुनौतियाँ:
    - चीन द्वारा भारत को घेरने की प्रबल आशंका और अधिक स्पष्ट हो जाएगी।
    - अपनी स्थिति की सुदृढ़ता के साथ चीन वास्तविक रेखा नियंत्रण (LAC) सहित अन्य विषयों में भारत के प्रति कम अनुदार रवैया अपना सकता है।
    - यहाँ तक कि व्यापार के मामले में भी भारत को चीन की अधिक आवश्यकता है। जब तक भारत चीन के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने के तरीके नहीं खोज लेता, चीन प्रत्येक उपलब्ध अवसर पर भारत को चुनौती देता रहेगा।
- आतंकवाद का केंद्र: आतंकवाद और चरमपंथ में वृद्धि इस भू-भाग के लिये एक सबसे बड़ी चुनौती होगी।
  - अफगानिस्तान में अमेरिका की उपस्थिति, तालिबान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के माध्यम से कुछ नियंत्रण का इस क्षेत्र के आतंकी पारितंत्र पर एक अपेक्षाकृत शांतिकारी प्रभाव रहा था। अब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ इस परिदृश्य का बदलना निश्चित है।
  - इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास तालिबान शासन को मान्यता देने के अलावा अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है। चीन और रूस जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य पहले ही ऐसी मंशा का संकेत दे चुके हैं।
    - इसका अर्थ यह भी होगा कि तालिबान के पास आतंक के मुद्दे पर सौदेबाजी की अधिक शक्ति होगी।
- क्षेत्रीय हितों पर प्रभाव: अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने प्रभावी रूप से भारत के 'मिशन (कनेक्ट) सेंट्रल एशिया' को विराम दे दिया है।
  - भारत की राजनयिक और असैन्य उपस्थिति के साथ-साथ उसके असैन्य निवेश अब तालिबान तथा कुछ हद तक पाकिस्तान की दया पर निर्भर होंगे।
  - यदि अफगानिस्तान से भारत की उपस्थिति की समाप्ति के लिये चीन, पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर कोई ठोस प्रयास किया तो भारत के लिये कई अन्य चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी।
- भारत-पाकिस्तान संबंध: अफगानिस्तान का घटनाक्रम भारत को पाकिस्तान के साथ यदि शांति नहीं तो कम से कम संबंधों की स्थिरता के लिये, प्रयास करने की विवशता उत्पन्न कर सकता है। जबकि भारत में वर्तमान में पाकिस्तान के साथ व्यापक आधार वाली किसी वार्ता प्रक्रिया को पुन: शुरू करने की इच्छा बहुत कम है, इसमें एक 'शीत शांति' (cold peace) की स्थिति भी प्राप्त कर लेना भारत के हित में होगा।
  - पाकिस्तान के लिये भी इस तरह की 'शीत शांति' की स्थिति अनुकूल होगी जहाँ उसे अफगानिस्तान में अपने हितों और लाभों को सुदृढ़ करने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने का समय मिलेगा।

नोट :

- नतीजतन, दोनों पक्ष किसी प्रतिस्पर्द्धी जोखिम में शामिल होने से बचने का प्रयास करेंगे, जब तक कि कोई नाटकीय घटनाक्रम सामने न आ जाए जिसकी संभावना हमेशा ही दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच बनी रहती है।
- भारत-पाकिस्तान संबंधों की स्थिरता बहुत हद तक कश्मीर में राजनीति की स्थिति और घाटी को शांत रखने में भारत की सक्षमता पर निर्भर है।

- सामरिक उद्देश्य के लिये आतंकवाद का उपयोग: इस बात की संभावना कम है कि तालिबान सक्रिय रूप से अन्य देशों में आतंक का निर्यात करेगा, हालाँकि सामरिक उद्देश्यों के लिये (उदाहरण के लिये, भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की कोई चाल) ऐसा हो सकना संभव भी है।
  - वास्तविक चिंता यह है कि विश्व की एकमात्र महाशक्ति (अमेरिका) के विरुद्ध तालिबान की जीत से भू-भाग के चरमपंथी तत्व प्रेरणा प्राप्त करेंगे।
- पाकिस्तान के लिये चुनौतियाँ: अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर पाकिस्तान का जश्न अंततः पाकिस्तान के लिये प्रतिकूल भी साबित हो सकता है।
  - चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान को ऐसी शक्ति के रूप में संदर्भित किया हो जिसने 'गुलामी की जंजीरों को खोल दिया' या देश का 'डीप स्टेट' उन्हें एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखता हो, वास्तविकता यह है कि तालिबान की जीत से कई पाकिस्तान विरोधी आतंकवादी संगठनों का भी हौसला बढ़ेगा।

आगे की राह

- अमेरिका की नई भूमिका: यह निर्धारित कर सकना अभी जल्दबाजी होगी कि अमेरिका-विरोधी धुरी देशों के हाथ एक अवसर लगा है अथवा वे आसन्न संकट में प्रवेश कर रहे हैं जिसके घातक परिणाम सामने आएँगे।
  - इस धुरी के निर्माण के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में अमेरिका यदि चाहे तो भू-भाग की स्थिरता के लिये उनके साथ सहयोग के नए तरीकों का पता लगाने का निर्णय ले सकता है और इस प्रकार क्षेत्र के लिये प्रासंगिक बना रह सकता है।
- क्षेत्रीय समाधान: अफगानिस्तान में एक स्थिर समाधान की तलाश में भारत और तीन प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ियों—चीन, रूस और ईरान के बीच हितों (अवसंरचनात्मक विकास और व्यापार के मामले में) का अभिसरण भी दिख रहा है।
  - इसलिये, इस मोर्चे पर समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।
- वैश्विक सहयोग: 1990 के दशक की तुलना में आज आतंकवाद को बेहद कम वैश्विक स्वीकृति प्राप्त है।
  - कोई भी बड़ी शक्ति अफगानिस्तान को आतंकवाद के वैश्विक आश्रयस्थल के रूप में फिर से उभरते हुए नहीं देखना चाहेगी।
  - फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसे तंत्रों के माध्यम से विश्व ने आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन पर नियंत्रण के लिये कई उल्लेखनीय कदम उठाये हैं।
- तालिबान से संवाद: क्षेत्र में किसी भी तरह के विकास (राजनीतिक या आर्थिक) के लिये तालिबान को अब विश्वास में लिया जाना चाहिये।
  - तालिबान से संवाद भारत को निरंतर विकास सहायता या अन्य प्रतिज्ञाओं के बदले विद्रोहियों से सुरक्षा गारंटी प्राप्त करने का अवसर देगा और इसके साथ ही पाकिस्तान से तालिबान की स्वायत्तता की संभावना का भी पता लगाया जा सकेगा।

निष्कर्ष

इन घटनाक्रमों के मद्देनज़र भारत के लिये सबक स्पष्ट है—सबक यह कि उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इसलिये उसे विवेकपूर्ण ढंग से अपने शत्रु की पहचान करनी होगी और सतर्कता से मित्र बनाने होंगे, उसे धूमिल पड़ते मित्रता-संबंधों को नई ऊर्जा सौंपनी होगी और जब तक संभव हो शांति बनाए रखनी होगी।

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

जलवायु परिवर्तन और बड़े व्यवसाय

IPCC की नवीनतम रिपोर्ट ने "मानवता के लिये कोड रेड चेतावनी" (a code red warning to humanity) जारी की गई है। इसका मुख्य संदेश यह है कि पृथ्वी की स्थिति तेज़ी से बिगड़ रही है, जलवायु परिवर्तन के असर से बच सकना असंभव है और ऐसा मानव हस्तक्षेप (human influence) के कारण हो रहा है।

जबकि रिपोर्ट ने ग्रीष्म लहर, भारी वर्षा, बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी चरम मौसमी घटनाओं के बारे में चेतावनी दी है, जिनमें से कई पहले से ही विश्व भर में और भारत में असर दिखा रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि हम वर्ष 2040 तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो विश्व में हो रहे परिवर्तनों को धीमा किया जा सकता है और यहाँ तक कि स्थिति के अधिक बिगड़ने पर रोक भी लग सकती है।

इस चेतावनी के मद्देनज़र भारत को अपने जलवायु शमन प्रयासों पर पुनर्विचार करना चाहिये और उनमें कई गुना तेज़ी लाना चाहिये, यदि वह वास्तव में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions- NDC) के लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा रखता है।

हालाँकि, IPCC की रिपोर्ट विशुद्ध रूप से विज्ञान-आधारित है और इसमें कारोबारों की भूमिका के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। कारोबार चाहे बड़े हों या छोटे, इस प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उत्सर्जन में कमी और शुद्ध शून्य लक्ष्यों की दिशा में प्रयास कर वे न केवल अपने स्वयं के लक्ष्यों की प्राप्ति के निकट पहुँच सकते हैं बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्यों में भी योगदान कर सकते हैं।

कार्बन उत्सर्जन में व्यवसायों की भागीदारी

- विश्व के तेल, गैस और कोयला भंडारों के अथक दोहन में संलग्न 20 जीवाश्म ईंधन कंपनियाँ वर्तमान युग में समग्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के एक तिहाई से अधिक से प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हो सकती हैं।
- एक अन्य अध्ययन के अनुसार, वर्ष 1988 से विश्व के दो-तिहाई से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का स्रोत 100 कंपनियाँ रही हैं।

भारत की प्रतिबद्धता

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ: अपनी पेरिस प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिये भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वर्ष 2030 तक उसने कुछ उपाय कर लिये हैं। इनमें शामिल हैं:
  - गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी संचयी विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता को 40% तक बढ़ाना।
  - अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में 33-35 प्रतिशत कम करना।
  - अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन के अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।
- इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अलावा, सरकार ने अक्षय ऊर्जा, वायु गुणवत्ता और अन्य विषयों में महत्त्वाकांक्षी घरेलू लक्ष्य भी निर्धारित किये हैं।

व्यवसायों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में समाज, अर्थव्यवस्था और समुदायों को प्रभावित कर रहा है।
- व्यवसायों को कई जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें भौतिक जोखिम (Physical risks) भी शामिल हैं (जैसे चरम मौसम की घटनाओं का प्रभाव अथवा जल की कमी के कारण आपूर्ति की कमी)।
- व्यवसाय संक्रमण जोखिम (Transition risks) का भी सामना करते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति समाज की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होते हैं।
- व्यावसायिक गतिविधियों के कारण ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन हेतु संभावित दायित्व का निर्माण होता है।

नोट :

- जलवायु परिवर्तन ने नए 'मटेरियल' जोखिम (material risks) भी पैदा किया है और व्यवसायों के लिये प्रतिष्ठा जोखिम (reputational risks) बढ़ा दिया है।
  - इसके अलावा, वित्त तक पहुँच तेज़ी से कंपनियों के जलवायु संबंधी जोखिमों से संबद्ध होती जा रही है।

आगे की राह

- क्षेत्र-वार उत्सर्जन में कमी: यदि भारत को उद्योग क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से संलग्न करना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वह क्षेत्र-वार उत्सर्जन में कमी के लिये आगे बढ़े।
  - अगर इसे कुशलतापूर्वक लागू किया जाए तो आधी जंग यहीं जीत ली जाएगी।
  - लेकिन इसके लिये सरकार और उद्योग दोनों को सक्रियता से और परोपकारी उत्साह से कार्य करना होगा।
  - यद्यपि इस उपाय से प्राप्त लाभ दूरगामी, व्यापक और दीर्घावधिक होने चाहिये।
- पर्यावरण मंज़ूरी अधिक विवेकपूर्ण तरीके से और केवल उन्हीं परियोजनाओं को दी जानी चाहिये जो राष्ट्रीय संदर्भ में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं।
  - पर्यावरण और आदिवासी समुदाय (जो हमारे वनों के संरक्षक हैं) पर प्रभाव का निर्धारण करते समय किसी ढील या शॉर्टकट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
  - व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये जंगलों को काटना और सिंथेटिक वनीकरण प्रयासों के माध्यम से इसकी भरपाई करना (जो केवल कागज पर अच्छे लगते हैं) वस्तुत: जंगलों का सफाया कर देगा।
- श्रमबल का प्रबंधन: कोयला-संचालित बिजली संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण एक दीर्घावधिक प्रक्रिया है और इसमें 200 लाख से अधिक कार्यबल का विस्थापन होगा।
  - उसी कार्यबल को अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण पुनर्जनन परियोजनाओं के लिये नियोजित किया जा सकता है।
  - यदि कोयला खनन गतिविधि को कम करने की प्रक्रिया में संलग्न लोगों की आजीविका की रक्षा नहीं की गई तो यह एक सामाजिक-आर्थिक संकट को जन्म देगा।
- वैश्विक सहयोग: सीमेंट और कंक्रीट क्षेत्रों के सतत् विकास में तेज़ी लाने के लिये ऊर्जा और संसाधन संस्थान (The Energy and Resources Institute- TERI) तथा 'ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन' (GCCA) के बीच एक समझौता ज्ञापन सही दिशा में बढ़ाया गया कदम है।
  - इसी प्रकार रियल एस्टेट, बिजली, ऑटोमोबाइल, विमानन, तेल, गैस, इस्पात और आईटी जैसे क्षेत्रों का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है और उनके उत्सर्जन को क्षेत्र-वार कम करने के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
  - इससे हमें राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी और साथ ही विश्व को इसकी शुद्ध शून्य महत्त्वाकांक्षा के निकट लाने में मदद मिलेगी।
- राज्य सरकारों तथा स्थानीय स्वशासन को भी उत्सर्जन में कमी और जैव विविधता में वृद्धि के लिये 'थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल' के मंत्र पर आगे बढ़ने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित करना होगा।
  - सभी सरकारी नीतियों और कार्रवाइयों को इन लक्ष्यों तक पहुँचने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

हालाँकि कोयला, गैस और तेल कंपनियों ने अक्षय ऊर्जा, हाइड्रोजन और अन्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश की संभावनाओं का पता लगाना और इस पर विचार करना शुरू कर दिया है, लेकिन संक्रमण की गति मंद है क्योंकि वे अभी भी माँग-विकास अनुमानों को पूरा करने की दिशा में कार्यरत हैं। इसलिये सभी मोर्चों पर एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

नोट :

चक्रवात अनुकूल नियोजन

इस वर्ष के आरंभ में भारत में आए भीषण चक्रवात ताउते (Tauktae) और यास (Yaas) देश के पश्चिमी तट पर गुजरात तथा पूर्वी तट पर ओडिशा में भूस्खलन की घटनाओं के कारण बने।

दोनों ही तूफानों ने आधारभूत संरचना, कृषि क्षेत्र और इमारतों को भारी नुकसान पहुँचाया। इन दोनों राज्यों में लगभग 25 लाख लोगों को चक्रवात आश्रय-गृहों और राहत शिविरों में पहुँचाया गया। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों के उखड़ने से पहले से ही कम हो रहे हरित आवरण और प्रभावित हुए।

इस प्रकार कोविड-19 महामारी के दौरान इन चक्रवातों का आगमन राज्य सरकारों के लिये अतिरिक्त वित्तीय उत्तरदायित्व का कारण बना। स्वास्थ्य लागत भी एक प्रमुख समस्या है।

भारत में चक्रवात संबंधी चुनौतियाँ

- प्रत्येक वर्ष बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 5-6 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है जिनमें से 2-3 भीषण रूप धारण कर लेते हैं।
- भारतीय तटरेखा लगभग 7,500 किमी लंबी है। देश के 96 तटीय ज़िले (जो तट पर या इसके निकट बसे हैं) और यहाँ की 262 मिलियन आबादी इन चक्रवातों और सुनामी की चपेट में आते हैं।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वर्ष 2013 के आँकड़े के अनुसार उत्तरी हिंद महासागर में समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि और भारत की भू-जलवायु परिस्थितियों के कारण तटीय राज्यों में विनाशकारी चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है और ये वैश्विक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लगभग 7% हैं।
- वर्ष 1891 और 2020 के बीच भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों को पार करने वाले 313 चक्रवातों में से 130 को गंभीर चक्रवाती तूफान (severe cyclonic storms) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
  - पश्चिमी तट ने 31 चक्रवातों का सामना किया जबकि पूर्वी तट 282 चक्रवातों की चपेट में आए।
  - ओडिशा तट पर सर्वाधिक 97 चक्रवात आए, जबकि इसके बाद आंध्र प्रदेश (79), तमिलनाडु (58), पश्चिम बंगाल (48), गुजरात (22), महाराष्ट्र/गोवा (7) और केरल (2) जैसे अन्य राज्यों पर इसका असर पड़ा।
- विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2010 के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत के 200 मिलियन शहरी निवासी तूफान और भूकंप जैसी आपदाओं का सामना कर रहे होंगे।

चक्रवात जैसी आपदाओं की आर्थिक लागत

- दूसरी सर्वाधिक क्षति लागत: प्राकृतिक आपदाओं में से चक्रवात दूसरी सर्वाधिक घटित परिघटना है जो वर्ष 1999-2020 की अवधि में भारत में घटित कुल प्राकृतिक आपदाओं के 15% हिस्से के लिये उत्तरदायी थे।
  - इसी अवधि के दौरान, इन चक्रवातों से 12,388 लोग मारे गए और लगभग 32,615 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की क्षति हुई।
  - क्षति लागत के मामले में चक्रवात बाढ़ (62%) के बाद दूसरे स्थान पर हैं जो आपदा संबंधित क्षति के 29% के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- तीसरी सबसे घातक आपदा: इसके अलावा, वे भूकंप (42%) और बाढ़ (33%) के बाद भारत में तीसरी सबसे घातक आपदा के रूप में वर्गीकृत किये गए हैं।
  - हालाँकि चक्रवातों के कारण होने वाली मौतों की संख्या में गिरावट आई है और उनकी संख्या वर्ष 1999 के 10,378 से घटकर वर्ष 2020 में 110 रह गई है।
  - बेहतर पूर्व-चेतावनी प्रणाली, चक्रवात का पूर्वानुमान और बेहतर आपदा प्रबंधन गतिविधियों (जैसे समय पर लोगों की निकासी, पुनर्वास और राहत वितरण) के कारण यह उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई।
    - लेकिन ये उपाय 'ज़ीरो फैटैलिटी अप्रोच' की प्राप्ति और चक्रवातों से होने वाले आर्थिक नुकसान को न्यूनतम करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

नोट :

- वर्ष 1999 और 2020 के बीच चक्रवातों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को काफी नुकसान पहुँचाया, जो दीर्घकालिक शमन उपायों के अभाव में 2,990 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य से बढ़कर 14,920 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया।
  - इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान चक्रवातों के कारण होने वाले नुकसान में नौ गुना वृद्धि हुई।
- निवारक व्यय: चक्रवातों ने प्रभावी चक्रवात तैयारी उपायों को लागू करने हेतु व्यय में वृद्धि के रूप में सरकारों के वित्तीय बोझ में भी वृद्धि की है।
- वर्ष 1999-2020 की अवधि में भारत को उसके सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% और कुल राजस्व के 15% का नुकसान हुआ। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार, चरम मौसम से संबंधित घटनाओं की लगातार आवृत्ति के कारण भारत वैश्विक स्तर पर सातवाँ सर्वाधिक आपदाग्रस्त देश माना गया है।
  - इसके अलावा रिपोर्ट से पता चला है कि भारत ने लगभग 2,267 मानव जीवन का नुकसान उठाया जबकि 2019 में क्रय शक्ति समानता (ppp) के संदर्भ में उसका नुकसान 68,812 मिलियन अमरीकी डॉलर का रहा।
  - उसी वर्ष, चरम मौसम संबंधी घटनाओं के कारण मानव मृत्यु और आर्थिक नुकसान के मामले में भारत पहले स्थान पर रहा।
  - एशियाई विकास बैंक (ADB) के वर्ष 2014 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत को जलवायु संबंधी घटनाओं के कारण वर्ष 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.8% प्रतिवर्ष का नुकसान भुगतना होगा।

आगे की राह

- निवारक उपाय अपनाना: चक्रवात चेतावनी प्रणाली में सुधार लाना और आपदा तैयारी उपायों को बेहतर करना अनिवार्य है।
- संरचनात्मक उपाय: सरकार को शेल्टरबेल्ट (shelterbelt) वृक्षारोपण के तहत दायरे को विस्तृत करना चाहिये और चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिये तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिये।
  - इसके अलावा लागत प्रभावी, दीर्घकालिक शमन उपायों को अपनाना—जिसमें चक्रवात-प्रत्यास्थी अवसंरचना (जैसे तूफानी लहर प्रत्यास्थी तटबंधों और नहरों निर्माण, निचले इलाकों में जलभराव को रोकने के लिये नदी संपर्क में सुधार करना आदि) का निर्माण करना शामिल है, महत्त्वपूर्ण होगा।
  - तटीय ज़िलों में आपदा-रोधी ऊर्जा अवसंरचना स्थापित करना, निर्धन एवं कमज़ोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना और व्यापक सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है।
- सामूहिक प्रयास: आपदा न्यूनीकरण उपायों को सामूहिक रूप से डिजाइन करने के लिये केंद्र और संबंधित राज्यों के बीच स्वस्थ समन्वय का होना आवश्यक है।
  - केंद्र और राज्यों द्वारा केवल ऐसा सामूहिक शमन प्रयास ही राज्यों के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद कर सकता है और आपदा से होने वाली मौतों को कम करने में भी प्रभावी हो सकता है।
- केस स्टडी - राज्यस्तरीय हस्तक्षेप
  - वर्ष 1999 के 'सुपर साइक्लोन' के बाद, ओडिशा सरकार ने विभिन्न चक्रवात शमन उपाय अपनाए थे जिसमें तटीय ज़िलों में आपदा चेतावनी प्रणाली की स्थापना और चक्रवात-प्रवण जिलों में निकासी आश्रयों (evacuation shelters) का निर्माण शामिल था।
  - इसके अतिरिक्त, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (OSDMA) की स्थापना, आपदा तैयारियों के लिये नियमित कैबिनेट बैठकें आयोजित करना और ओडिशा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF) की स्थापना जैसे कदम भी उठाए गए थे।
  - इन सभी गतिविधियों ने हुदहुद, फानी, एम्फन (Amphan) और यास जैसे चक्रवाती तूफानों के नुकसान को न्यूनतम करने में मदद की थी। हालाँकि, ओडिशा का आपदा प्रबंधन मॉडल अभी भी चक्रवात से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिये अपर्याप्त है।

नोट :

सामाजिक न्याय

सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals- SDGs) एक वैश्विक प्रयास है जिसका एक प्रमुख उद्देश्य है—सभी के लिये एक बेहतर भविष्य की प्राप्ति। इन वैश्विक और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये स्थानीयकरण (localization) एक महत्त्वपूर्ण साधन है।

यह सहसंबंधित करता है कि किस प्रकार स्थानीय और राज्य सरकारें ऊर्ध्वगामी कार्रवाई (bottom-up action) के माध्यम से SDGs की प्राप्ति में सहायता दे सकती हैं और SDGs किस प्रकार स्थानीय नीति के लिये एक ढाँचा प्रदान कर सकते हैं।

यदि भारत को वर्ष 2030 तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो उसे SDGs को प्रभावी ढंग से स्थानीयकृत करने के लिये एक तंत्र का निर्माण करना होगा—एक ऐसा तंत्र जो पंचायती राज प्रणाली के स्थानीय स्वशासन के साथ महिला संघों (women's collectives) में मौजूद सामाजिक पूँजी का लाभ उठाता है और उन्हें एकीकृत करता है।

महिला संघ

- सरलतम परिभाषा के अनुसार एक महिला संघ महिलाओं का ऐसा समूह है जो एक साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिये नियमित रूप से बैठक करता है। विभिन्न आर्थिक, विधिक, स्वास्थ्य-संबंधी और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिये महिलाओं का यह समूहन विश्व भर में कई अलग रूपों में पाया जाता है।
- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups- SHGs) महिला संघ का उदाहरण हैं।

महिला संघ का महत्त्व

- सामाजिक असमानताओं को दूर करना: महिला संघों ने सामाजिक मानदंडों और असमान सामाजिक संबंधों को चुनौती देकर जाति, पितृसत्ता और धन संबंधी गहरे पूर्वाग्रहों को सफलतापूर्वक दूर किया है।
  - वे दहेज प्रथा, शराबखोरी जैसी कुरीतियों का मुक़ाबला करने के लिये सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं।
- ग्राम स्वराज के लिये मार्ग प्रशस्त करना: महिला संघों ने सामाजिक समानता के लिये अनुकूल स्थितियाँ पैदा की हैं और अंततः ग्राम स्वराज का मार्ग प्रशस्त किया है।
  - केरल में 'कुडूम्बश्री' (Kudumbashree) की महिलाएँ इसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।
  - स्थानीय समुदाय की आकांक्षाओं को प्रकट कर महिलाएँ निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक दोतरफा प्रक्रिया में शामिल करने में सक्षम हुईं—यानी, उनके प्रयासों को पूरकता प्रदान करना और साथ ही उन्हें जवाबदेह बनाना।
- लैंगिक समानता: महिला संघ महिलाओं को सशक्त बनाते हैं और उनमें नेतृत्व कौशल का विकास करते हैं। सशक्त महिलाएँ विकास प्रक्रियाओं, ग्राम सभाओं और स्थानीय चुनावों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।
  - इस बात की पुष्टि होती है कि स्वयं सहायता समूहों के गठन से समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के साथ-साथ परिवार में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है।
- वित्तीय समावेशन: महिला संघ वित्तीय समावेशन के दायरे का विस्तार करते हुए समाज के निर्धनतम तबके तक पहुँच बनाते हैं।
  - वित्तीय समावेशन के विस्तार के साथ बाल मृत्यु दर में कमी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार और बेहतर पोषण, आवास एवं स्वास्थ्य (विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में) के साथ रोगों से लड़ सकने की निर्धनों की क्षमता में वृद्धि जैसे सकल परिणाम प्राप्त होते हैं।

चुनौतियाँ

- सीमित संसाधनों की चुनौतियाँ: निस्संदेह ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रसार में (मानव संसाधन, क्षमताओं का विकास और अलग-अलग विभागीय बजट आवंटन सहित) स्व-सहायता समूहों जैसे सामुदायिक संस्थानों को शामिल करने की कई अंतर्निहित चुनौतियाँ भी हैं।

नोट :

- उपयुक्त और लाभदायक आजीविका विकल्प अपनाने के लिये स्व-सहायता समूह के सदस्यों के बीच ज्ञान और उचित अभिविन्यास की कमी है।

- पितृसत्तात्मक मानसिकता: आदिम सोच और सामाजिक दायित्व महिलाओं को महिला संघों में भाग लेने से हतोत्साहित करते हैं जिससे उनके आर्थिक विकल्प सीमित हो जाते हैं।
- ग्रामीण बैंकिंग सुविधाओं का अभाव: कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सूक्ष्म-वित्त संस्थान (micro-finance institutions) निर्धनों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि वहाँ सेवा की लागत अधिक होती है।
  - स्व-सहायता समूहों की संवहनीयता और उनके कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर्याप्त बहस का विषय रही हैं।

आगे की राह

- महिला संघों की शक्ति का लाभ उठाना: वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihoods Mission) के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 76 मिलियन महिलाओं को गतिशील किया गया है और 3.1 मिलियन महिलाएँ निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के रूप में सक्रिय हैं।
  - सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की वास्तविक सफलता के लिये साझेदारी के माध्यम से इन दोनों संस्थाओं (PRIs & SHGs) की शक्ति का लाभ उठाने की आवश्यकता है।
- पंचायत को मज़बूत करना: सतत् विकास लक्ष्यों के वास्तविक स्थानीयकरण के लिये संविधान के ढाँचे के भीतर मार्ग तलाश किया जाना चाहिये।
  - कोई भी कार्रवाई किसी समानांतर मार्ग का निर्माण न करे, बल्कि पंचायतों की संस्थागत क्षमता को सशक्त करने का एक उपाय हो।
- अनुभव से सीखना: पाँच दक्षिणी राज्यों—तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने निर्धनता कम करने के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।
- इन राज्यों ने पाँच उपाय किये जिन्होंने निर्धनता को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - माध्यमिक, उच्च-माध्यमिक और उच्च शिक्षा में किशोरियों की भागीदारी।
  - प्रजनन दर में गिरावट का माध्यमिक, उच्च-माध्यमिक और उच्च शिक्षा में किशोरियों की भागीदारी से किसी भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं की तुलना में अधिक वृहत सहसंबंधन नज़र आया है।
- महिला संघों का गठन: जब महिलाएँ स्व-सहायता समूहों के निर्माण के लिये एक साथ आईं तो इसने घर के बाहर उनकी एक पहचान का सृजन किया।
  - चूँकि इन महिलाओं को समय के साथ बुनियादी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हुई थी, इसलिये उनके संघ या स्व-सहायता समूह अन्य समूहों की तुलना में कौशल और विविध आजीविका अवसरों का बेहतर लाभ उठा सकने में सक्षम हुए।
  - महिला स्व-सहायता समूहों के लिये बिना संपार्श्विक के 10 लाख रुपये तक के ऋण की सीमा को हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
- पंचायती राज संस्थाओं को अधिक उत्तरदायित्व सौंपना: 73वें संविधान संशोधन ने 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया। विकास के सफल स्थानीयकरण के लिये पंचायती राज संस्थाओं को न केवल अपनी शासन भूमिका पर बल देने की आवश्यकता है बल्कि अपनी विकासात्मक भूमिका पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - पूरी बहस को इस बात पर केंद्रित होना चाहिये कि किस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं को सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये उनकी नेतृत्त्व भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया जाए।
  - इसके लिये दूरदर्शिता, संसाधन जुटाना और भागीदारी की तलाश जैसे विभिन्न नेतृत्त्व गुणों के विकास की आवश्यकता होगी।
- सामाजिक पूँजी का लाभ उठाना: सामाजिक पूँजी आर्थिक गतिविधियों के लिये एक मज़बूत आधार का निर्माण करती है। इसलिये अंतत: स्थानीयकरण के प्रयासों को न केवल सामाजिक संबंधों में बल्कि ग्रामों में आर्थिक गतिविधि के स्तर पर भी रूपांतरण की दिशा में प्रेरित होना चाहिये।

नोट :

निष्कर्ष

ग्रामीण स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण न केवल मौजूदा असमान संबंधों को चुनौती देगा, बल्कि एक ऐसा संस्थागत ढाँचा भी प्रदान करेगा जो राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

इस दिशा में अभी अधिक विचार नहीं किया गया है कि कोई निर्धन परिवार तेज़ी से आगे बढ़ने के लिये तंत्र या संस्थानों का किस प्रकार लाभ उठा सकता है। इन छोटे संघों/समूहों को अधिक साझेदारीपूर्ण विकास के मूल के रूप में देखने की आवश्यकता है।

जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता

जाति व्यवस्था भारत की नियति है और इसने देश को अपनी अपार क्षमता को साकार करने तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ज्ञान, कला, खेल एवं आर्थिक समृद्धि के विषय में एक महान राष्ट्र में परिणत हो सकने की संभावना को अवरुद्ध कर रखा है।

अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में 94% विवाह सजातीय (endogamous) होते हैं और 90% तुच्छ नौकरियाँ वंचित जातियों द्वारा की जाती हैं (जबकि सफेदपोश नौकरियों के मामले में यह आँकड़ा उल्टा हो जाता है)। मीडिया, न्यायपालिका, उच्च शिक्षा, नौकरशाही या कॉर्पोरेट क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से निर्णय लेने के स्तर पर, जाति विविधता का यह परम अभाव इन संस्थानों और उनके प्रदर्शन को कमज़ोर कर रहा है।

यह वास्तव में अजीब बात ही है कि जाति के हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में इतनी प्रमुखता से मौजूद होने के बावजूद भी देश की आधी से अधिक आबादी के लिये जाति संबंधी कोई विश्वसनीय और व्यापक जाति आँकड़ा मौजूद ही नहीं है।

जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता

- नीतिनिर्माण में लाभ: जाति आधारित जनगणना का उद्देश्य केवल आरक्षण के मुद्दे तक सीमित नहीं है; यह वास्तव में उन व्यापक विषयों को (विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले या वंचित लोगों की संख्या अथवा उनके व्यवसाय का रूप) को सामने लाएगी, जिन विषयों पर किसी भी लोकतांत्रिक देश को अवश्य ध्यान देना चाहिये।
  - एक जाति आधारित जनगणना (जो विस्तृत आँकड़े सृजित करेगी), नीति निर्माताओं को बेहतर नीतियों और कार्यान्वयन रणनीतियों को विकसित करने का अवसर देगी और इसके साथ ही संवेदनशील मुद्दों पर अधिक तर्कसंगत बहस को भी सक्षम करेगी।
- समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का प्रकटीकरण: जाति न केवल वंचना या अलाभ की स्थिति का स्रोत है बल्कि यह हमारे समाज में विशेषाधिकार और लाभ की स्थिति का भी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
  - हमें इस सोच को बदलना होगा कि जाति का विषय केवल वंचित, निर्धन या अभावग्रस्त लोगों से संबंधित है।
  - इसका विलोम अधिक सत्य है, जहाँ जाति ने कुछ समुदायों के लिये लाभ की स्थिति उत्पन्न की है और इसे दर्ज किया जाना भी आवश्यक है।
- भारतीय समाज में जाति का महत्त्वपूर्ण स्थान: जबकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विभिन्न धार्मिक एवं भाषाई समूहों के बारे में जनगणना आँकड़े एकत्र किये गए हैं वहीं वर्ष 1931 के बाद से भारत में सभी जातियों की कोई प्रोफाइलिंग या अंकन नहीं हुआ है।
  - इसके बाद से ही जाति ने हमारे जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है और अपर्याप्त आँकड़ों पर हमारी निर्भरता में भी वृद्धि हुई है।
- प्रचलित असमानताओं को दूर करना: धन, संसाधनों और शिक्षा के असमान वितरण का परिणाम हुआ कि अधिकांश भारतीयों के पास क्रय शक्ति की भारी कमी है।
  - एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हम व्यवस्था को बलपूर्वक उखाड़ नहीं फेंक सकते बल्कि हमें इसे लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है।
- संवैधानिक जनादेश: हमारा संविधान भी जाति आधारित जनगणना आयोजित कराने का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिये और सरकारों द्वारा इस दिशा में किये जा सकने वाले उपायों की सिफारिशें करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

नोट :

- मिथकों को तोड़ना: ऐसे बहुत से मिथक हैं जो वास्तव में बड़ी संख्या में लोगों को, विशेषकर हाशिये में स्थित लोगों को वंचित करते हैं।
  - जैसे हम कर्नाटक का उदाहरण लें। लंबे समय से यह दावा किया जाता रहा है कि वहाँ जातियों में लिंगायत जाति की संख्या सर्वाधिक है।
  - लेकिन कई अन्य अध्ययनों ने इस पर संदेह व्यक्त किया है। इस तरह के मिथक इस तर्क को जन्म देते हैं कि चूँकि किसी जाति विशेष के लोगों की संख्या अधिक है, उसकी तुष्टि किया जाना आवश्यक है। ऐसे मिथकों को जाति आधारित जनगणना के माध्यम से दूर किया जा सकता है।
- समावेशन और बहिर्वेशन की त्रुटियों को कम करना: जातियों के सटीक आँकड़ों के साथ अधिकांश पिछड़ी जातियों की पहचान की जा सकती है।
  - कुछ लोग वर्षों से लाभ उठा रहे हैं जबकि देश में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला।
- सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार सरकारों से जातियों से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराने को कहा है; लेकिन इस तरह के आँकड़े की अनुपलब्धता के कारण यह संभव नहीं हो पाया है।
  - परिणामस्वरूप, हमारा राष्ट्रीय जीवन विभिन्न जातियों के बीच आपसी अविश्वास और गलत धारणाओं से ग्रस्त है।
  - विभिन्न आयोगों को पिछली जाति आधारित जनगणना (1931) के आँकड़ों पर निर्भर रहना पड़ा है।

जाति आधारित जनगणना से संबद्ध चुनौतियाँ

- जाति आधारित जनगणना के दुष्प्रभाव: जाति में एक भावनात्मक तत्व निहित होता है और इस प्रकार जाति आधारित जनगणना के राजनीतिक और सामाजिक दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं।
  - ऐसी आशंकाएँ प्रकट होती रही हैं कि जाति संबंधित गणना से उनकी पहचान की सुदृढ़ता या कठोरता को मदद मिल सकती है।
  - इन दुष्प्रभावों के कारण ही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना, 2011 के लगभग एक दशक बाद भी इसके आँकड़े के बड़े अंश अप्रकाशित रहे हैं या ये केवल अंशों में ही जारी किये गए हैं।
- जाति संदर्भ-विशिष्ट होती है: जाति कभी भी भारत में वर्ग या वंचना का छद्म रूप नहीं रही; यह एक विशिष्ट प्रकार के अंतर्निहित भेदभाव का गठन करती है जो प्राय: वर्ग के भी पार चला जाता है। उदाहरण के लिये:
  - दलित उपनाम वाले लोगों को नौकरी हेतु साक्षात्कार के लिये बुलाए जाने की संभावना कम होती है, भले ही उनकी योग्यता उच्च जाति के उम्मीदवार से बेहतर हो।
  - ज़मींदारों द्वारा उन्हें पट्टेदारों के रूप में स्वीकार किये जाने की संभावना भी कम होती है।
  - एक पढ़े-लिखे, संपन्न दलित व्यक्ति से विवाह अभी भी उच्च जाति की महिलाओं के परिवारों में हिंसक प्रतिशोध को जन्म देता है।

आगे की राह

- भारत को आँकड़ों के माध्यम से जाति के प्रश्न से निपटने के लिये उसी प्रकार साहसिक और निर्णयात्मक होने की आवश्यकता है, जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका नस्ल, वर्ग, भाषा, अंतर-नस्लीय विवाह आदि के आँकड़े एकत्र कर नस्ल की समस्या से निपटता है।
  - यह आँकड़ा अमेरिका के राज्य और समाज को एक दर्पण प्रदान करता है जिसमें वे स्वयं को देख सकते हैं और अपने पथ में सुधार के लिये निर्णय ले सकते हैं।
- राष्ट्रीय डेटा बैंक की स्थापना: सच्चर समिति की रिपोर्ट में एक राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित करने की सिफारिश की गई थी।
  - अन्य पिछड़ी जातियों के उप-वर्गीकरण की जाँच के लिये वर्ष 2017 में न्यायमूर्ति रोहिणी समिति का गठन किया गया था; हालाँकि, डेटा के अभाव में किसी डेटा-बैंक की स्थापना या किसी उपयुक्त उप-वर्गीकरण का होना संभव नहीं है।

निष्कर्ष

हाल ही में बढ़ती सामाजिक जागरूकता के साथ जाति व्यवस्था की समाप्ति की तात्कालिकता तेज़ी से महसूस की जा रही है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि यदि भारत को राष्ट्रों के समूह में गौरव का स्थान प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम जाति को मिटाना होगा।

21वीं सदी भारत के जातिगत प्रश्न को हल करने का सही समय है, जो अन्यथा न केवल सामाजिक रूप से बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी भारी कीमत की माँग करेगा और हमें विकास सूचकांक में पीछे धकेल देगा।

नोट :

गर्ल्स ड्रॉप आउट

पिछले कुछ दशकों से भारतीय महिलाओं ने गतिविधि के सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रगति की है। फिर भी, अभी बहुत कुछ हासिल किया जाना शेष है। भारतीय महिलाओं ने भारत के लिये ओलंपिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यदि उन्हें उपयुक्त सहयोग और समर्थन प्राप्त होता है तो किसी अन्य क्षेत्र में भी (विशेष रूप से शिक्षा के मामले में) उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन न कर सकने का कोई कारण नहीं है।

यदि हम एक आर्थिक महाशक्ति बनने की इच्छा रखते हैं तो एक राष्ट्र के रूप में अपने संभावित कार्यबल के आधे हिस्से की उपेक्षा नहीं कर सकते। एक समाज के रूप में महिलाएँ महत्त्वपूर्ण और स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने की धुरी हो सकती हैं; व्यक्ति के रूप में उन्हें अपने उत्कृष्टतम विकास का अवसर मिलना चाहिये।

इस संदर्भ में महिला शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

बालिकाओं के पढ़ाई छोड़ देने का परिदृश्य:

- पढ़ाई छोड़ देने के कारण: भारत में बालिकाओं द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने के विविध कारण रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं:
  - घरेलू गतिविधियों में संलग्नता (31.9%)
  - आर्थिक तंगी (18.4%),
  - शिक्षा में रुचि का अभाव (15.3%), और
  - विवाह (12.4%)।
- लैंगिक पूर्वाग्रह और सामाजिक मानदंड: समस्या का मूल न केवल निर्धनता और स्कूली शिक्षा की खराब गुणवत्ता में निहित है, बल्कि लैंगिक पूर्वाग्रहों और घिसे-पिटे सामाजिक मानदंडों में भी है।
  - जिन राज्यों में बालिकाओं द्वारा माध्यमिक विद्यालय स्तर पर पढ़ाई छोड़ देने की उच्चतम दर पाई जाती है, वे वही राज्य हैं जहाँ लड़कियों के एक उल्लेखनीय प्रतिशत का 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह कर दिया जाता है।
- बालिकाओं की शिक्षा पर कम व्यय: स्कूलों के चयन, निजी ट्यूशनों तक पहुँच और उच्च शिक्षा में विषय के चयन तक लैंगिक पूर्वाग्रह की गहरी जड़ें जमी हुई हैं।
  - इस स्तर पर बालिकाओं पर औसत वार्षिक घरेलू व्यय 2,860 रुपये है जो बालकों पर व्यय की तुलना में कम है।
  - भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की औसत वार्षिक लागत साधारण स्नातक कार्यक्रमों की तुलना में बहुत अधिक है (8,000 रुपये की तुलना में 50,000 रूपये तक)।
  - AISHE 2019-20 के अनुसार, जो बालिकाएँ तृतीयक डिग्री में दाखिला लेने में सफल होती हैं, उनमें से एक छोटा अनुपात ही इंजीनियरिंग (28.5%) जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आगे बढ़ता है, जबकि कई अन्य फार्मेसी (58.7%) या "सामान्य स्नातक" का विकल्प चुनती हैं (52%)।
  - राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों में उनका प्रतिनिधित्व सबसे कम है, जिसके बाद डीम्ड और निजी विश्वविद्यालय आते हैं।

गर्ल्स ड्रॉप आउट- आँकड़ा

- ऐसा अनुमान है कि कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर 2.4 करोड़ से अधिक बालिकाएँ स्कूल छोड़ने की कगार पर हैं।
  - महामारी के कारण स्कूलों के बंद रहने और आर्थिक कठिनाइयों ने शिक्षा के मामले में महिलाओं की समस्या को प्रभावित करने वाले कई कारकों को और सघन कर दिया है।
- भारत के परिप्रेक्ष्य में, महामारी से पहले उच्च शिक्षा में महिलाओं के सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) में क्रमिक वृद्धि की सकारात्मक प्रवृत्ति नज़र आ रही थी (वर्ष 2012-13 में 19.8% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 27.3%)।
  - बावजूद इसके, महिलाओं की समस्या और उच्च शिक्षा की एक अधिक सूक्ष्म तस्वीर देखी जा सकती है। अभी हाल में यह महामारी प्रेरित लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुई है।
  - ऐसा अनुमान है कि अकेले महामारी के कारण एक करोड़ से अधिक बालिकाएँ स्कूल छोड़ने के कगार पर हैं।

नोट :

शिक्षा का महत्त्व: महिलाओं का सामाजिक विकास

- उच्च सामाजिक प्रतिलाभ: विश्व बैंक की एक 'दशकीय समीक्षा' के अनुसार, स्कूली शिक्षा के केवल एक अतिरिक्त वर्ष के साथ प्रतिफल के निजी दर (किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि) के लिये वैश्विक औसत लगभग 9% है, जबकि स्कूल के एक अतिरिक्त वर्ष का सामाजिक प्रतिफल और भी अधिक है (माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर 10% से अधिक)।
- उच्च शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव: यह तथ्य दिलचस्प है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिये निजी प्रतिलाभ पुरुषों की तुलना में पर्याप्त अधिक है (विभिन्न अनुमानों के अनुसार 11 से 17%)।
  - इसके स्पष्ट नीतिगत निहितार्थ हैं। उनके स्वयं के सशक्तिकरण के लिये, साथ ही साथ वृहत स्तर पर समाज के सशक्तिकरण के लिये, हमें अधिक से अधिक महिलाओं को उच्च शिक्षा के दायरे में लाना चाहिये।
- महिलाएँ नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं: अवसरों तक समान पहुँच के साथ स्वस्थ, शिक्षित लड़कियाँ सशक्त महिलाओं के रूप में विकसित हो सकती हैं जो अपने देश-काल में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं। इससे सरकारी नीतियों में महिलाओं के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलेगी।
- निर्धनता उन्मूलन: महिलाएँ देश की आबादी के लगभग आधे भाग का निर्माण करती हैं, इसलिये देश में उनकी स्थिति में सुधार से निर्धनता उन्मूलन में पर्याप्त योगदान हो सकता है।
  - सतत् विकास के लिये आवश्यक रूपांतरणकारी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की प्राप्ति के लिये महिला सशक्तिकरण एक उत्प्रेरक भूमिका निभाता है।

आगे की राह:

- इन प्रणालीगत चुनौतियों को दूर करने के लिये सरकार ने अतीत में कई कदम उठाए हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा के लिये लड़कियों के प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना (NSIGSE), सभी आईआईटी संस्थानों में बालिकाओं के लिये अतिरिक्त सीटें और तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं के लिये प्रगति छात्रवृत्ति योजना।
  - हालाँकि, ऐसे अभूतपूर्व समय में हमें बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की समस्या के समाधान के लिये और उच्च शिक्षा के पेशेवर एवं आर्थिक रूप से लाभदायी क्षेत्रों में अधिक लड़कियों को शामिल करने के लिये अभूतपूर्व उपायों की आवश्यकता है।
- सामुदायिक शिक्षण कार्यक्रम: एक तात्कालिक कदम के रूप में प्रत्येक मोहल्ले में उपयुक्त कोविड मानदंडों के साथ एक मोहल्ला स्कूल या सामुदायिक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिये।
  - नीति आयोग ने नागरिक समाज संगठनों की मदद से 28 आकांक्षी जिलों में स्वयंसेवकों के नेतृत्व में संचालित "सक्षम बिटिया" नामक सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किया था, जहाँ 1.87 लाख से अधिक छात्राओं को सामाजिक-भावनात्मक और नैतिक शिक्षा में प्रशिक्षित किया गया था।
  - इस तरह की पहलों को दुहराया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महामारी के दौरान और अधिक बालिकाएँ स्कूल छोड़ने को विवश न हों।
- जेंडर एटलस/ड्रॉपआउट मैपिंग: ड्रॉप-आउट की संभावना का अनुमान लगाने के लिये एक जेंडर एटलस विकसित किया जाना चाहिये (जिसमें शामिल संकेतक स्कूल ड्रॉप-आउट के प्रमुख कारणों से मैप किए गए हों)।
  - शिक्षकों को भी उन सभी छात्रवृत्तियों और उपलब्ध योजनाओं के संबंध में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये जो लड़कियों और उनके परिवारों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।
- माध्यमिक शिक्षा के लिये लड़कियों को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना को उन क्षेत्रों या राज्यों में संशोधित करने की आवश्यकता है जहाँ स्कूल ड्रॉप-आउट और बाल विवाह की उच्च व्यापकता पाई जाती है।
  - छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाया जा सकता है और स्नातक स्तर की पढ़ाई की पूर्ति से इसे संबद्ध किया जा सकता है, जहाँ छात्राओं को उनकी स्नातक डिग्री के प्रत्येक वर्ष के सफल समापन पर वार्षिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए।
- शिक्षा के मामले में पिछड़े जिलों के लिये विशेष शिक्षा क्षेत्र: प्रत्येक पंचायत, जहाँ बालिकाओं द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि हुई हो, वहाँ उच्च माध्यमिक (कक्षा I-XII) तक के संयुक्त विद्यालय खोले जाने चाहिये।

नोट :

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक लैंगिक समावेशन निधि (Gender Inclusion Fund) का प्रावधान करती है। इस निधि का उपयोग इन स्कूलों के साथ-साथ सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में STEM शिक्षा का समर्थन करने के लिये किया जाना चाहिये ।
- राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक हस्तक्षेपों को आकार देने के लिये मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

- सामाजिक पूर्वाग्रहों से निपटने की आवश्यकता: सामाजिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सांस्कृतिक मानदंड लड़कियों को उनकी जन्मजात क्षमता को साकार कर सकने की संभावना से अवरुद्ध करते हैं।
  - अति-स्थानीय NGOs/CSOs की मदद से सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिये राज्यों में बिहेवियरल इनसाइट्स यूनिट्स (BIU) की स्थापना की जा सकती है।
  - नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में पोषण और स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिये एक BIU की स्थापना कर इस दिशा में अग्रणी कदम आगे बढ़ाया है।

निष्कर्ष:

Covid-19 महामारी ने शिक्षकों और छात्रों के लिये अभूतपूर्व चुनौतियों को जन्म दिया है और विशेष रूप से बालिकाओं सहित हाशिये पर रहे लोग इसके प्रभाव में आए हैं। हालाँकि हाल के प्रयोगों और अधिगम अनुभव, पर्याप्त संसाधनों के सूचित लक्ष्यीकरण और एक चुस्त नीति वातावरण के साथ इस चुनौती को एक अवसर में भी बदला जा सकता है। उपयुक्त सक्षम वातावरण के साथ शैक्षिक प्रतिफलों में सुधार लाया जा सकता है।

शिक्षा में लिंग भेद की समस्या को संबोधित करने के लिये बालिकाओं को सामाजिक, वित्तीय और भावनात्मक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से पोषण सुरक्षा

प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं और बच्चों के पोषण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वर्ष 2024 तक किसी भी सरकारी योजना—पीडीएस, मिड-डे-मील, आंगनवाड़ी के तहत निर्धनों को उपलब्ध कराए गए चावल को 'फोर्टिफाइड' किया जाएगा।

कुपोषण (विशेष रूप से संतुलित विविध आहार ग्रहण कर सकने में अक्षम समाज के निम्न-आय और कमज़ोर वर्गों में व्याप्त कुपोषण) की जटिल चुनौती से निपटने के लिये विज्ञान का लाभ उठाना एक अच्छा हस्तक्षेप हो सकता है। हालाँकि इस कदम की अपनी चुनौतियाँ हो सकती हैं।

फूड फोर्टिफिकेशन के लाभ

- पोषक मूल्य में वृद्धि: बायो-फोर्टिफाइड फसलों में पारंपरिक किस्मों की तुलना में प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड का 1.5 से 3 गुना अधिक उच्च स्तर पाया जाता है।
- फोर्टिफिकेशन की सुरक्षित विधि: उल्लेखनीय है कि ये किस्में आनुवंशिक रूप से संशोधित नहीं हैं बल्कि इन्हें वैज्ञानिकों द्वारा पारंपरिक फसल प्रजनन तकनीकों के माध्यम से विकसित किया गया है।
  - इसके अलावा, भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों (micronutrients) को शामिल करने से लोगों के स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता है। संयुक्त की गई मात्रा इतनी कम और निर्धारित मानकों के अनुसार इतनी अच्छी तरह से विनियमित होती है कि पोषक तत्वों की अधिकता की संभावना नहीं होती।
- बड़े पैमाने पर पोषण सुरक्षा: चूँकि व्यापक रूप से उपभोग किये जाने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का योग किया जाता है, यह आबादी के एक बड़े हिस्से के स्वास्थ्य में एक साथ सुधार लाने का एक उत्कृष्ट तरीका है।
- व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता नहीं: इसके लिये लोगों की आहार आदतों और पैटर्न में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है। यह आबादी में पोषक तत्व की सुनिश्चितता का सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य तरीका है।
  - यह खाद्य के गुणों—स्वाद, तृप्ति या रूप में कोई परिवर्तन नहीं लाता।

नोट :

- त्वरित परिणाम: इसका त्वरित कार्यान्वयन किया जा सकता है और यह अपेक्षाकृत कम समय में स्वास्थ्य में सुधार परिणाम दर्शा सकता है।
- लागत प्रभावी: यह विधि लागत प्रभावी है, विशेष रूप से यदि मौजूदा प्रौद्योगिकी और वितरण प्लेटफॉर्म का समुचित लाभ उठाया जाए।
  - कोपेनहेगन सहमति (Copenhagen Consensus) का अनुमान है कि फूड फोर्टिफिकेशन पर व्यय किया गया प्रत्येक 1 रुपया अर्थव्यवस्था के लिये 9 रुपये का लाभ उत्पन्न करता है।
  - यद्यपि उपकरण और विटामिन एवं खनिज प्रीमिक्स—दोनों की खरीद के लिये आरंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन फोर्टिफिकेशन की कुल लागत बेहद कम है। यहाँ तक कि जब सभी कार्यक्रम लागत उपभोक्ताओं पर डाल दिये जाते हैं, तब भी मूल्य वृद्धि लगभग 1-2% ही होती है, जो सामान्य मूल्य भिन्नता से कम है। इस प्रकार इसका उच्च लाभ-लागत अनुपात (high benefit-to-cost ratio) है।

भारतीय परिदृश्य

- FAO की नवीनतम रिपोर्ट—'विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, 2021 (The State of Food Security and Nutrition in the World, 2021) के अनुसार वर्तमान में देश की 15.3% आबादी कुपोषित या अल्पपोषित (undernourished) है और भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के "स्टंटेड" (30%) और "वेस्टेड" बच्चों (17.3%) का अनुपात सबसे अधिक है।
  - इन आँकड़ों से संकेत मिलता है कि भारत पोषण सुरक्षा के मामले में एक जटिल मोड़ पर है और यथास्थिति परिदृश्य में वर्ष 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करने के संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य (SDG) को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा।
- पोषाहार असुरक्षा के कारक: पौष्टिक भोजन तक पहुँच पोषण का केवल एक निर्धारक है। सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता (विशेष रूप से शौचालय) तक बदतर पहुँच, टीकाकरण एवं शिक्षा का निम्न स्तर (विशेष रूप से महिलाओं में) आदि वे अन्य कारक हैं जो इस निराशाजनक स्थिति में समान रूप से योगदान करते हैं।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR) की वेबसाइट के अनुसार, वर्ष 2019-20 तक गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सरसों, मूंगफली सहित बायो-फोर्टिफाइड अनाजों की 21 किस्में विकसित की जा चुकी थीं।
- राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के एक शोध दल ने बायो-फोर्टिफाइड रंगीन गेहूँ (काला, नीला, बैंगनी) भी विकसित किया है जो जिंक और एंथोसायनिन से समृद्ध हैं।
  - गेंहूँ की इस किस्म के उत्पादन को बढ़ाने के लिये पंजाब और हरियाणा के किसानों को सहमत किया गया है। यह खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर एक नई यात्रा के आरंभ की सूचना देता है।

फूड फोर्टिफिकेशन के प्रतिकूल प्रभाव

- सुपोषण का विकल्प नहीं: हालाँकि फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों में चयनित सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिक मात्रा होती है, वे एक अच्छी गुणवत्ता वाले आहार का विकल्प नहीं हो सकते जो इष्टतम स्वास्थ्य के लिये आवश्यक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन, आवश्यक वसा और अन्य खाद्य घटकों की आपूर्ति करे।
- जनसंख्या के निर्धनतम वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में अक्षम: कमज़ोर क्रय शक्ति और एक अविकसित वितरण चैनल के कारण आम आबादी के निर्धनतम वर्ग खुले बाज़ारों में इन फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों तक पहुँच ही नहीं रखते।
- अनिर्णीत साक्ष्य:
  - फोर्टिफिकेशन का समर्थन करने वाले साक्ष्य अनिर्णीत या अधूरे हैं और निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं हैं कि इनके आधार पर वृहत राष्ट्रीय नीतियों का कार्यान्वयन किया जाए।
  - फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिये FSSAI जिन कई अध्ययनों पर निर्भर है, वे उन खाद्य कंपनियों द्वारा प्रायोजित अध्ययन हैं जो इससे लाभान्वित होंगे और इससे हितों के टकराव (conflicts of interest) की स्थिति बनती है।
- हानिकारक प्रभाव की संभावना: एक या दो सिंथेटिक रासायनिक विटामिन और खनिजों का योग कर देने से वृहत समस्या का समाधान नहीं होगा, जबकि अल्पपोषित आबादी में विषाक्तता जैसे कई हानिकारक प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं।

नोट :

- एक अध्ययन से पता चला है कि आयरन फोर्टिफिकेशन के कारण कुपोषित बच्चों में आंत के सूजन (gut inflammation) और रोगजनक गट माइक्रोबायोटा प्रोफाइल (gut microbiota profile) जैसी चिंताजनक स्वास्थ्य स्थिति उत्पन्न हुई।

- प्राकृतिक खाद्य का महत्त्व कम होना: यदि आयरन-फोर्टिफाइड चावल को एनीमिया के उपचार के रूप में बेचा जाएगा तो बाजरा, विभिन्न हरी पत्तेदार सब्जियाँ, माँस खाद्य पदार्थ, यकृत जैसे प्राकृतिक रूप से लौह-युक्त खाद्य पदार्थों का महत्त्व और चयन एक मौन नीति के माध्यम से दबा दिया जाएगा।

आगे की राह

- महिलाओं की पोषण साक्षरता में वृद्धि करना: माता की शिक्षा और बच्चों की सेहत के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। जिन बच्चों की माताएँ अशिक्षित हैं, उन्हें न्यूनतम आहार विविधता प्राप्त होती है और वे स्टंटिंग एवं वेस्टिंग से पीड़ित होते हैं तथा एनीमिक होते हैं।
  - इसलिये, बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने और उनके स्कूल ड्रॉप-आउट दर को कम करने (विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर) के लिये विभिन्न कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - वैश्विक पोषण रिपोर्ट (2014) के आकलन के अनुसार किसी सुदृढ़ पोषण कार्यक्रम में एक डॉलर का निवेश 16 डॉलर का लाभ प्रदान करता है।
- कृषि-अनुसंधान एवं विकास पर व्यय में वृद्धि करना: बायोफोर्टिफाइड खाद्य में नवाचार केवल तभी कुपोषण को कम कर पाएगा जब उन्हें सहायक/अनुपूरक नीतियों के साथ आगे बढ़ाया जाए।
  - इसके लिये कृषि-अनुसंधान एवं विकास पर व्यय की वृद्धि करनी होगी और संवहनीय मूल्य श्रृंखलाओं एवं वितरण चैनलों के माध्यम से किसानों के उत्पादन को आकर्षक बाज़ारों से जोड़कर उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी।
- निजी निवेश: सरकार निजी क्षेत्र से एक विशेष बाज़ार खंड के निर्माण की अपेक्षा कर सकती है जहाँ हाई-एंड उपभोक्ताओं के लिये उच्च गुणवत्तायुक्त बायो-फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ उपलब्धता हों।
  - उदाहरण के लिये, टाटा समूह द्वारा संचालित ट्रस्ट विभिन्न राज्यों को विटामिन A और D के साथ दूध के फोर्टीफिकेशन की पहल करने में मदद कर रहे हैं ।
  - अन्य निजी डेयरियों को भी देश भर में दूध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम: साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक से बदलने के लिये वर्ष 1962 में सरकार द्वारा शुरू किये गए "नमक आयोडीनीकरण कार्यक्रम" की तर्ज पर संचालित एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान सबके लिये पोषण के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
  - ब्रांडिंग, जागरूकता अभियान, सामाजिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन की पहल (समुदाय-स्तरीय परामर्श, संवाद, मीडिया संलग्नता एवं पैरोकारी) निर्धनों और बच्चों के बीच स्थानीय रूप से उपलब्ध, पोषक तत्वों से भरपूर सस्ते खाद्य पदार्थों की खपत को बढ़ावा दे सकते हैं।
- बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता: यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि दीर्घावधि में भारत को इस जटिल समस्या के मूल कारण की समाप्ति के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण (जैसे बुनियादी अवसंरचना, बिजली, पेयजल और स्वच्छता तक पहुँच) की आवश्यकता है।

नोट :